

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बैंक की मान्यता :

- 1.1 यूनियन बैंक ऑफ इंडिया श्रेष्ठ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कार्यान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है। शेयरधारकों की संपदा वृद्धि और हितधारकों के हितों के संरक्षण के लिए बैंक ने अपने सभी स्तर के कार्यों में औचित्य, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व प्रदान किया है।
- 1.2 बैंक स्वयं को अपने शेयरधारकों का ट्रस्टी मानता है और शेयरधारकों की संपदा सुरक्षा करने और उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी स्वीकार करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान बैंक कॉर्पोरेट कार्यनीति लागू करने और उसका अनुश्रवण करने, सुविचारित कारोबार योजना बनाने, बैंक के कारोबार की प्रमुख जोखिमों का अनुश्रवण करने तथा कानूनी एवं नैतिक जिम्मेदारियों के निर्वहन हेतु नीतियों और कार्यपद्धतियों के पालन के माध्यम से उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहा है।
- 1.3 बैंक का दृढ़ विश्वास है कि निदेशक मंडल एवं अन्य शेयरधारकों द्वारा स्व-अनुशासन एवं निष्पापूर्वक अपनी जिम्मेदारी निभाने से एक स्वच्छ, पारदर्शी एवं विश्वसनीय कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभिशासन के लिए आधार उपलब्ध होगा जिससे शेयरधारकों का निरंतर सहयोग एवं विश्वास प्राप्त होगा।
- 1.4 कोविड-19 वैधिक महामारी के कारण बदलते परिदृश्य में बैंक के सामने अतिरिक्त चुनौतियाँ पैदा हुई हैं और आपके बैंक ने मार्च 2020 से स्थिति का सामना करने में चरित्र, परिपक्वता और लचीलापन दिखाया है एवं भविष्य में भी इसको जारी रखेगा।
- 1.5 उत्तम पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्वैच्छिक संहिता तैयार की है। यह संहिता शीर्ष से ही अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की भावना का विकास करती है। इसमें मूलतः सभी हितधारकों के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह में बैंक में प्रचलित कार्यप्रणालियां सम्मिलित एवं प्रलेखित हैं, यथा :
 - निदेशक मंडल एवं उसकी विभिन्न समितियों की कार्यप्रणालियां
 - अनुपालन (विनियामक एवं पॉलिसी)
 - शेयरधारकों के साथ संबंध
 - बैंक एवं उसके निदेशकों द्वारा प्रकटन

- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और
- अन्य विविध मामले जैसे निदेशकों एवं उच्च प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता, आंतरिक व्यापार (इनसाइडर ट्रेडिंग) निषेध, संबंधित पक्ष संव्यवहार नीति, विसिल ब्लोवर नीति, स्टाफ संबंधी मामले, सतर्कता आदि।

- 1.6 बैंक सूचीबद्ध निकाय होने के कारण सेबी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी प्रावधानों (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 का इस प्रकार अनुपालन करता है कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा जारी बैंक पर लागू होने वाले निर्देशों एवं दिशानिर्देशों का उल्लंघन न हो।

2. निदेशक मंडल

- 2.1 निदेशक मंडल का संघटन, बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण), अधिनियम 1970 यथा संशोधित और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और विविध प्रावधान) योजना, 1970 यथा संशोधित के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित है।
- 2.2 निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व में बैंक के समग्र अनुश्रवण कार्य सहित नये उत्पाद विकसित करने के लिए नीतियों को मंजूर करना, लक्ष्यों के सापेक्ष कारोबार समीक्षा, ऋण, परिचालन, बाजार, तरलता जोखिम, जोखिम कार्यों की स्वतंत्रता का मूल्यांकन, तिमाही तथा वार्षिक वित्तीय परिणामों की विस्तृत संवेदन, एनपीए प्रबंधन एवं रिपोर्ट किए गए एनपीए तथा प्रावधानीकरण सत्यनिष्ठा, विनियामक एवं सांविधिक दिशानिर्देशों का अनुपालन, ग्राहक संरक्षण, वित्तीय समावेशन, मानव संसाधन का समग्र पर्यवेक्षण संबंधी नीतियों का अनुमोदन सम्मिलित हैं।
- 2.3 निदेशक मंडल ने विभिन्न उप-समितियां बनाई हैं और निदेशक मंडल के समितियों के लिए विभिन्न कार्यक्षेत्रों में अधिकारों का प्रत्यायोजन किया है। निदेशक मंडल और समितियों की बैठकें आवधिक अंतराल पर होती हैं।
- 2.4 31 मार्च, 2022 को निदेशक मंडल में भारत सरकार द्वारा नियुक्त पाँच पूर्णकालिक निदेशक यथा प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एंड सीईओ) तथा चार (4) कार्यपालक निदेशकों के अतिरिक्त छह (6) गैर-कार्यपालक निदेशक भी हैं, जो समाज के विभिन्न वर्गों से चुने गये श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। विभिन्न क्षेत्रों में उनके बहुमूल्य एवं बृहद अनुभव बैंक की प्रगति एवं उपलब्धियों में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

2.5 वर्ष के दौरान केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले कर्मचारी निदेशक और अधिकारी निदेशक के पद रिक्त थे. केंद्र सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले सीए निदेशक और अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों के पद यथा 31 मार्च, 2022 को रिक्त थे.

2.6 निदेशक मंडल की संरचना यथा 31 मार्च, 2022 निम्नानुसार है:

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीटी तथा एसआरसीबी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीटी/एसआरसीबी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
1	श्री राजकिरण रै जी.., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (कार्यपालक)	01.07.2017	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एसपीएमएफ डीपीपीसी एसटीसीबी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-। सीडीआरसीएफ आरसीएनसीबीड&बल्यूडी	6725	2	1	बैंकिंग कंपनी (उपकर्मों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त 01.07.2017 को या उसके बाद पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 30.06.2020 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/4/2017 बीओ.आई दिनांकित 30.06.2020 द्वारा केन्द्र सरकार ने कार्यकाल अवधि को 30.06.2020 से बढ़ाकर 31.05.2022 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
2	श्री मानस रंजन विस्वाल कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-03-2019	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-। सीडीआरसीएफ एसपीएमएफ	शून्य	1	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपकर्मों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, पदभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 28.02.2022 तक या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/4/2021 बीओ.आई दिनांकित 26.08.2021 द्वारा केन्द्र सरकार ने कार्यकाल अवधि को 28.02.2022 से बढ़ाकर 30.04.2022 या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, तक बढ़ा दिया है. विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
3	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	10-03-2021	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससीबी सीएसी-। सीडीआरसीएफ	6725	3	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपकर्मों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 10.03.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे. विशेषज्ञता के क्षेत्र : अर्थशास्त्र, वित्त एवं प्रबंधन

अप्रैल
पूर्वोत्तर

मई

सातवें अप्रैल

जून
विवरणों

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीवी तथा एसआरसीवी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में एसीवी/एसआरसीवी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
4	श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	21-10-2021	एसीवी एसआरसीवी आरएमसी आईटीएससी आरईएमसी एचआरएससीवी सीएसी-। सीडीआरसीएफ	शून्य	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 21.10.2021 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
5	श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक (कार्यपालक)	01-02-2022	एसीवी एसीवी एसआरसीवी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ आरईएमसी एचआरएससीवी सीएसी-। सीडीआरसीएफ	शून्य	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ए) के अधीन पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति, कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि अर्थात 01.02.2022 से प्रभावी या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग एवं वित्त
6	श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	08-11-2021	एसीवी एसआरसीवी आईटीएससी एससीएमएफ डीपीपीसी आरईएमसी एचआरएससीवी बीसीपीई	शून्य	2	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (बी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रबंधन एवं वित्त
7	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिं द्वारा नामित निदेशक (गैर-कार्यपालक)	26-04-2019	एसीवी एसीवी डीपीपीसी	शून्य	1	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा भारिं वैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(सी) के अधीन निदेशक के रूप में नियुक्त. अगले आदेशों तक पद पर बने रहेंगे। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं सूचना प्रौद्योगिकी
8	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र)	21-12-2021	एसीवी एसआरसीवी आरएमसी एनआरसी	शून्य	2	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.12.2021 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित। विशेषज्ञता के क्षेत्र : लेखा, करगान एवं वित्त

क्र सं	निदेशक का पूरा नाम, पदनाम एवं श्रेणी	नियुक्ति की तारीख	बैंक की समितियों में सदस्यता \$	बैंक के शेयरों की धारिता	बैंक सहित पलिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी तथा एसआरसीबी में सदस्यता की संख्या	बैंक सहित पलिक लिमिटेड कंपनियों में एसीबी/एसआरसीबी के अध्यक्ष वाले पदों की संख्या	टिप्पणियां (बैंक/ अन्य सूचीबद्ध कंपनियों में नियुक्ति का स्वरूप और विशेषज्ञता के क्षेत्र)
9	श्री लक्ष्मण एस. उपर्र, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक (गैर-कार्यपालक- स्वतंत्र)	21-03-2022	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	केंद्र सरकार द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (एच) के अधीन, अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि यथा 21.03.2022 या अगले आदेश, जो भी पहले हो, तक अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक के रूप में नामित। विशेषज्ञता के क्षेत्र : प्रशिक्षण एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर
10	डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	28-06-2018	एसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एससीएमएफ एसटीसीबी एचआरएससीबी आरसीएनसीबीड&बल्टूडी बीसीपीई	200	2	2	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 28.06.2018 से 27.06.2021 तक निर्वाचित और दिनांक 28.06.2021 से आगामी तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में पुनः निर्वाचित। विशेषज्ञता के क्षेत्र : बैंकिंग, वित्त एवं जोखिम प्रबंधन
11	सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक (स्वतंत्र गैर-कार्यपालक)	29-07-2021	एमसीबी एसआरसीबी आरएमसी आईटीएससी एसटीसीबी एचआरएससीबी बीसीपीई	1000	2	शून्य	बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के अधीन दिनांक 29.07.2021 से 28.07.2024 तक तीन वर्ष की अवधि हेतु शेयरधारक निदेशक के रूप में निर्वाचित। विशेषज्ञता के क्षेत्र : सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर

§ समिति के नाम का संक्षिप्ताक्षर

- बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति
- बोर्ड की कार्यनिषादन मूल्यांकन हेतु समिति
- साथ अनुमोदन समिति - ।
- पूर्णी निधि की उगाही हेतु निदेशकों की समिति
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा भतदान के माध्यम से शेयरधारकों के निदेशकों का चुनाव समिति
- बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति
- अनुरागासानिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति
- निर्वाचन विवाद समिति
- बोर्ड की मानव संसाधन उप समिति
- बोर्ड की आईटी रणनीति समिति
- बोर्ड की प्रबंधन समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- बैंक के गैर-सहयोगी उद्धारकर्ताओं & जानवृज्ञाकर चूककर्ताओं हेतु समीक्षा समिति
- बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी मामलों के अनुश्रवण हेतु विशेष समिति
- हितधारकों की संबंध समिति
- बोर्ड की शेयर अंतरण समिति

2.7 वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान नियुक्तियां / कार्यकाल समापन

नियुक्तियां: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड में शामिल किए गए निदेशकों का संक्षिप्त परिचय निम्नानुसार है:

क्र.	नाम	आयु	नियुक्ति की तारीख	वर्तमान कार्यकाल समाप्ति की तारीख	विशेषज्ञता का स्वरूप	संक्षिप्त परिचय
1.	डॉ. जयदेव मदुगुला	58	28.06.2021	27.06.2024	बैंकिंग एवं जोखिम प्रबंधन	<p>डॉ. जयदेव मदुगुला ने कॉर्मस में स्नातकोत्तर और बिजनेस मैनेजमेंट में पीएचडी किया हैं। वर्तमान में, आप आईआईएम बैंगलोर में वित्त एवं लेखांकन के प्रोफेसर हैं।</p> <p>आपको न केवल भारत की प्रमुख संस्थाओं में बल्कि विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयों में भी एक अतिथि प्रोफेसर के रूप में अध्यापन का पर्याप्त अनुभव है। आपने विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में आपने शोध संबंधी लेखों का प्रकाशन किया है तथा आपने शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न पुस्तकार एवं प्रशंसा अर्जित की है। आप 28 जून, 2018 से 27 जून, 2021 तक बैंक के शेयरधारक निदेशक के पद पर कार्यरत थे।</p>
2	सुश्री प्रीति जय राव	62	29.07.2021	28.07.2024	सूचना प्रौद्योगिकी, एचआर एवं सीएसआर	<p>श्रीमती प्रीति जय राव कंप्यूटर विज्ञान में विशेषज्ञता के साथ आईआईटी मुंबई से एमएससी (गणित) हैं। आप व्यावसायिक मूल्य, प्रौद्योगिकी उन्नयन, मानव संसाधन और प्रक्रिया स्वचालन को बढ़ाने पर जोर देते हैं।</p> <p>आपको सभी पाँच महाद्वीपों में स्थित ग्राहकों को विभिन्न आईटी सेवाएं प्रदान करने में 24 वर्षों का समृद्ध अनुभव प्राप्त है।</p> <p>आप पिछले कई वर्षों से प्रौद्योगिकी सेवाओं और सक्रिय रूप से विभिन्न सीएसआर गतिविधियों से संबंधित सार्वजनिक और निजी कंपनियों के निदेशक मंडल की सदस्य हैं।</p>
3	श्री रजनीश कर्नाटक	51	21.10.2021	20.10.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	बैंकिंग एवं वित्त	<p>श्री कर्नाटक ने वाणिज्य (एम.कॉर्म) में स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल की तथा आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एप्सोसिएट (सीएआईआईबी) हैं। आपको बैंकिंग क्षेत्र में 27 वर्ष का गहन कार्यानुभव है और आपने अनेक शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों का भी कार्यभार संभाला है। आप परियोजना निधिकरण तथा कार्यशील पूँजी निधिकरण, ऋण जोखिम की विशेष योग्यता के साथ जोखिम प्रबंधन व ऋण मूल्यांकन कौशल में दक्ष हैं।</p>
4	श्री समीर शुक्ला	43	08.11.2021	अगले आदेशों तक	प्रबंधन एवं वित्त	श्री समीर शुक्ला कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएस) के अधिकारी हैं।
5	श्री सूरज श्रीवास्तव	48	21.12.2021	20.12.2024 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	लेखा, कराधान एवं वित्त	<p>श्री सूरज श्रीवास्तव भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीआई) के मानद सदस्य हैं तथा विधि (एलएल.बी) में स्नातक भी हैं।</p> <p>श्री श्रीवास्तव को कराधान एवं लेखा संबंधी अभ्यास में एक पेशेवर सनदी लेखाकार के रूप में 16 वर्षों का कुशल अनुभव है।</p>
6	श्री निधु सक्सेना	53	01.02.2022	31.01.2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	बैंकिंग एवं विपणन	श्री निधु सक्सेना वाणिज्य स्नातक हैं और आपने सीएआईआईबी योग्यता के साथ व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर भी किया है। बैंकिंग में आपने 25 वर्षों के अनुभव से पूर्व श्री निधु सक्सेना को विभिन्न क्षेत्रों में 8 वर्षों का कॉर्पोरेट एक्सपोजर भी है।
7	श्री लक्ष्मण एस. उपर	50	21.03.2022	20.03.2025 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो	प्रशिक्षण एवं विकास, प्रबंधन एवं सीएसआर	श्री उपर इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। आप एक प्रसिद्ध शिक्षाविद, जनहितैषी और कर्नाटक विद्यालय एज्यूकेशन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। आपने 2012 में स्पर्धा स्कूलिं पब्लिशर्स एवं प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड की भी शुरुआत की है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मासिक पत्रिकाएँ प्रकाशित करता है।

कार्यकाल समापन: निम्नांकित सदस्यों का कार्यकाल विच वर्ष 2021-22 के दौरान पूर्ण हुआ.

क्र	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यकाल पूर्ण होने की तिथि	कारण
1	डॉ. उत्तम कुमार सरकार	शेयरधारक निदेशक	28.06.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर
2	श्री के. कदिरेसन	शेयरधारक निदेशक	28.06.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर.
3	श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक	01.10.2021	अधिवृष्टि पर.
4	डॉ. मदनेश कुमार मिश्रा	भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक	07.11.2021	कार्यकाल पूर्ण होने पर
5	श्री गोपाल सिंह गुजार्ड	कार्यपालक निदेशक	01.02.2022	अधिवृष्टि पर.

2.8 निदेशकों का परस्पर संबंध :

किसी भी निदेशक का आपस में कोई भी नजदीकी संबंध नहीं है।

2.9 निदेशकों की समिति सदस्यता :

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 26(1) के क्रम में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति की अध्यक्षता एवं सदस्यता (एसीबी) तथा बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसीबी) को प्रकटन के लिए ध्यान में रखा जाता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक का कोई भी निदेशक उन सभी सूचीबद्ध संस्थाओं/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में जहां वे निदेशक थे 10 समिति से अधिक समिति के सदस्य नहीं रहे हैं ना ही उन्होंने 5 समिति से अधिक समिति की अध्यक्षता की है।

बैंक की समितियों पर निदेशकों द्वारा धारित सदस्यता/ अध्यक्षता एवं अन्य सूचीबद्ध/ सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियाँ जहां वे निदेशक थे यथास्थिति 31.03.2022 का ब्यौरा निम्नानुसार है।

क्र	निदेशक का नाम एवं पदनाम	कंपनी का नाम	समिति का नाम	सदस्य/ अध्यक्ष
1.	श्री राजकिरण रे जी., प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	यूनाइटेड इंडिया इन्श्युरेंस कंपनी लिमिटेड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसीबी	अध्यक्ष सदस्य
2.	श्री मानस रंजन बिस्वाल, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसआरसीबी	सदस्य
3.	श्री नितेश रंजन, कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 3. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इन्श्युरेंस	एसआरसीबी एसीबी एसीबी	सदस्य सदस्य सदस्य
4.	श्री रजनीश कर्नाटक, कार्यपालक निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूबीआई सर्विसेस लिमिटेड	एसआरसीबी एसीबी	सदस्य सदस्य
5.	श्री निधु सक्सेना, कार्यपालक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसीबी	सदस्य सदस्य
6.	श्री समीर शुक्ला, सरकार नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसीबी	सदस्य सदस्य
7.	श्री अरुण कुमार सिंह, भारिबैं द्वारा नामित निदेशक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी	सदस्य
8.	श्री सूरज श्रीवास्तव, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसीबी	सदस्य सदस्य
9.	श्री लक्ष्मण एस. उपर, अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक		लागू नहीं	
10.	डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक	1. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसीबी	सदस्य सदस्य
11.	सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक	1. मस्टेक लिमिटेड 2. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	एसीबी एसआरसीबी	सदस्य सदस्य

2.10 निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले अभिज्ञता (परिचय) कार्यक्रमों का व्यौरा :

निदेशकों द्वारा भाग लिये जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों का व्यौरा बैंक की बेवसाइट पर निम्नांकित लिंक पर उपलब्ध कराया गया है:

<http://www.unionbankofindia.co.in/english/familiarisation.aspx>

2.11 सूचीबद्धता विनियमन की अनुसूची V की अपेक्षा के अनुरूप पेशारत कंपनी सचिव ने अपने प्रमाणपत्र के जरिए प्रमाणित किया है कि सेबी/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या अन्य ऐसे सांविधिक प्राधिकारी द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति या नियुक्ति पर बने रहने के संबंध में वर्जित या अयोग्य नहीं माना गया है तथा इस संबंध में पेशारत कंपनी सचिव का प्रमाणपत्र वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

2.12 बैंक का निदेशक मण्डल पुष्टि करता है कि बैंक के स्वतंत्र निदेशक (शेयरधारक निदेशक) सूचीबद्धता विनियम में निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करता हैं एवं वे प्रबंधन से स्वतंत्र हैं।

3 वार्षिक सामान्य बैठक :

बैंक के शेयरधारकों की 19वीं वार्षिक साधारण बैठक मंगलवार, दिनांक 10 अगस्त, 2021 को वीसी/ओएसीएम के माध्यम से आयोजित की गयी, जिसमें निम्नलिखित निदेशक उपस्थित थे:

श्री राजकिरण रै जी.	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
श्री गोपाल सिंह गुसाई	कार्यपालक निदेशक
श्री दिनेश कुमार गर्ग	कार्यपालक निदेशक
श्री मानस रंजन बिस्वाल	कार्यपालक निदेशक
श्री नितेश रंजन	कार्यपालक निदेशक
डॉ. जयदेव मदुगुला	शेयरधारक निदेशक, एसीबी एवं एसआरसीबी के अध्यक्ष
सुश्री प्रीति जय राव	शेयरधारक निदेशक

4 निदेशक मण्डल की बैठकें :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित निदेशक मण्डल की बैठकों का व्यौरा:

वर्ष 2021-22 के दौरान 22 बार यथा 29.04.2021, 14.05.2021, 25.05.2021, 07.06.2021, 14.06.2021, 23.06.2021, 30.06.2021, 17.07.2021, 28.07.2021,

29.07.2021, 30.07.2021, 26.08.2021, 28.09.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 25.11.2021, 15.12.2021, 29.12.2021, 24.01.2022, 07.02.2022, 25.02.2022 और 30.03.2022 को निदेशक मण्डल की बैठकें आयोजित की गयी।

नोट : गैर-कार्यकारी अध्यक्ष का पद वर्तमान में रिक्त है और श्री राजकिरण रै जी, बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 खंड डी, पार्ट ई, सूची II के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 12(6) के अनुसार बोर्ड के अध्यक्ष हैं।

5. बोर्ड की समितियां

बैंक के निदेशक मण्डल ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस एवं जोखिम प्रबंधन पर भारतीय रिजर्व बैंक/सेबी/भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण रणनीति के विभिन्न क्षेत्रों को देखने के लिए निदेशकों एवं/अथवा कार्यपालकों की विभिन्न समितियां गठित की हैं। महत्वपूर्ण समितियां निम्नानुसार हैं -

1. बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)
2. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)
3. जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)
4. रु. 1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मण्डल की विशेष समिति (एससीएमएफ)
5. बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी)
6. बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)*
7. बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)
8. बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)*
9. आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)
10. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)
11. अनुशासनिक कार्यवाही एवं पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)
12. बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)
13. बैंक के गैर-सहयोगी उद्धारकर्ताओं & जानबूझकर यूकर्कर्ताओं हेतु समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी&डबल्यूडी)
14. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति (सीएसआरसी)*
15. ऋण अनुमोदन समिति-I (सीएसी- I)
16. पूँजीगत निधि की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)
17. बोर्ड की कार्यनिषादन मूल्यांकन हेतु समिति (बीसीपीई)

*** नोट 1:** बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 30.03.2022 की अपनी बैठक में ग्राहक सेवा और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कार्यों के साथ एसआरसीबी के दायरे को अधिदेश द्वारा विस्तार किया है और इसके परिणामस्वरूप, सीएससीबी और सीएसआरसी को सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में स्थापित एसआरसीबी के दायरे और संरचना को कमज़ोर किए बिना एसआरसीबी में विलय कर दिया गया है। एसआरसीबी को पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) कार्यों के साथ भी अनिवार्य किया गया है।

नोट 2: बैंक के निदेशक मंडल ने दिनांक 30.03.2022 की अपनी बैठक में "चुनाव विवाद समिति" और "शेयरधारकों के निदेशकों के चुनाव पर निर्णय लेने वाली समिति - पीएसबी द्वारा मतदान" को समाप्त कर दिया है क्योंकि विशिष्ट मुद्दों के लिए समितियाँ थीं और ऐसे मुद्दे हाल के दिनों में समक्ष नहीं आए हैं। बोर्ड ने इस संबंध में यह भी निर्णय लिया कि विशिष्ट अवधि के लिए उक्त समितियों का पुनः गठन उन्हीं नियमों और शर्तों के साथ जब कभी आवश्यक हो, किया जा सकता है।

5.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी)

5.1.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 13 (यथा संशोधित) के अनुक्रम में बोर्ड की प्रबंधन समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ,
- कार्यपालक निदेशक,
- भारतीय रिजर्व बैंक नामित निदेशक का धारा 9(3) (सी) के अन्तर्गत नामांकन, एवं
- तीन अन्य गैर-कार्यपालक निदेशकों का धारा 9(3) (ई), (एफ), (एच) एवं (आई) के अन्तर्गत आवर्तन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए बोर्ड द्वारा नामांकन किया जा सकता है और छह माह की अवधि हेतु दो बार के लिए पुनः निर्वाचित किया जा सकता है।

श्री राजकिरण रै जी, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.1.2 कार्य :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में विभिन्न कारोबारी मामलों यथा ऋण प्रस्तावों की मंजूरी/समीक्षा, ऋण समझौता/अपलेखन प्रस्ताव, साथ अनुमोदन समिति-I के प्राधिकार से अधिक पूँजी एवं राजस्व व्ययों का अनुमोदन, परिसरों का अधिग्रहण एवं किराए पर लेने, निवेश, दान आदि को ध्यान में रखते हुए बोर्ड के निदेशकों द्वारा बोर्ड की प्रबंधन समिति गठित की गयी है।

वर्ष 2021-22 के दौरान एमसीबी की 24 बैठकें आयोजित की गयी।

5.2 बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी)

5.2.1 संघटन :

बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी है। बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति में निम्नानुसार सदस्य हैं -

- कार्यपालक निदेशक, आन्तरिक निरीक्षण एवं लेखापरीक्षा के प्रभारी
- भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के नामिती, एवं
- धारा 9(3)(जी) के अन्तर्गत दो अन्य गैर कार्यपालक निदेशक, जिनमें से एक सामान्यतः सनदी लेखाकार निदेशक हो।

अन्य कार्यपालक निदेशक/कों को आमंत्रित किया जा सकता है, यदि कार्यसूची में उनके क्षेत्र से संबंधित कोई मद चर्चा के लिए शामिल हो।

डॉ. जयदेव एम., शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 के विनियमन 18(1)(ई) के अनुसार कंपनी सचिव लेखापरीक्षा समिति का सचिव होगा।

5.2.2 कार्य :

लेखापरीक्षा समिति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी कैलेंडर मद के आदेश के अनुसार बैंक के कार्यों की समीक्षा

करती है. निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) के प्रमुख कार्य निम्न प्रकार हैं:-

1. एसीबी बैंक के लेखापरीक्षा संबंधी समग्र कार्य का पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन करती है. समग्र लेखा परीक्षा कार्य में बैंक की आंतरिक लेखापरीक्षा और निरीक्षण का गठन, परिचालन तथा गुणवत्ता नियंत्रण और बैंक की सांविधिक/बाह्य लेखापरीक्षा और भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षणों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है.
2. एसीबी, बैंक के आंतरिक निरीक्षण/लेखापरीक्षा कार्यों अर्थात् उसकी प्रणाली, गुणवत्ता और अनुवर्ती कार्रवाई की प्रभावकारिता की समीक्षा करती है. यह विशेषीकृत शाखाओं और बहुत बड़ी शाखाओं तथा असंतोषजनक रेटिंग वाली सभी शाखाओं की निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करती है. इसके द्वारा विशेष रूप से निम्नलिखित कार्यों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाता है :-

 - अंतर-शाखा समायोजन खाते
 - अंतर बैंक खातों और नोस्ट्रो खातों में बहुत समय से बकाया प्रविष्टियां जिनका मिलान न हुआ हो.
 - विभिन्न शाखाओं में बहियों के मिलान की बकाया स्थिति
 - धोखाधड़ी
 - बहियों के मिलान से संबंधित सभी अन्य प्रमुख क्षेत्र.

3. एसीबी, भारिबैं एवं सेबी के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों में नियुक्त अनुपालन अधिकारी से तिमाही रिपोर्ट प्राप्त करती है एवं उसकी समीक्षा करती है.
4. सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में यह समिति लांग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट में उठाए गए सभी मुद्दों पर अनुवर्ती कार्रवाई करती है. बैंक के छमाही/वार्षिक वित्तीय लेखों और रिपोर्टों को अंतिम रूप प्रदान करने के पहले यह बाह्य लेखापरीक्षकों से चर्चा करती है.
5. लेखापरीक्षा समिति, बैंक की लेखा नीति और कार्य प्रणाली, संबंधित पार्टी लेनदेन, व्हिसिल ब्लोअर तकनीक, प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण तथा बैंक

के तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों की भी समीक्षा करती है.

6. उपर्युक्त के अलावा, सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के कॉर्पोरेट गवर्नेंस सूची II के भाग सी के अधीन परिभाषित अनुसार लेखापरीक्षा समिति की भूमिका एवं लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा करना भी लेखापरीक्षा समिति के कार्य में शामिल है.

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 10 बैठकें हुई. ये बैठकें दिनांक 07.06.2021, 22.06.2021, 29.07.2021, 25.08.2021, 23.09.2021, 02.11.2021, 23.11.2021, 07.02.2022, 10.02.2022 और 16.03.2022 को आयोजित हुई.

5.3 जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)

5.3.1 संघटन :

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन पर निदेशकों की पर्यवेक्षा समिति गठित की है. सेबी (एलओडीआर) विनियमन 2015 के संदर्भ में, निदेशक मंडल ने बाज़ार पूँजीकरण के आधार पर निर्धारित शेष 1000 सूचीबद्ध संस्थाओं में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का गठन करेगा. कार्यों में समानता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने 06.12.2019 को आयोजित अपनी बैठक में जोखिम एवं आस्ति देयता प्रबंधन (सीएसआर & एएलएम) पर निर्देशकों की पर्यवेक्षण समिति का नाम बदलकर जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) किया है.

समिति में निम्नानुसार सदस्य शामिल किए गए हैं :

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक एवं
- तीन गैर-कार्यपालक निदेशक.

आज की तारीख में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रित्त है और राष्ट्रीयकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के अनुबंध 12(6) की शर्तों के अनुसार श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की.

5.3.2 कार्य :

बैंक ने जोखिम और आस्ति देयता प्रबंधन के कार्यकलापों के पर्यवेक्षण के लिए समिति गठित की है, यह समिति बैंक के सभी जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी है।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी।

5.4 रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति (एससीएमएफ)

5.4.1 संघटन:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों के अनुश्रवण हेतु निदेशक मंडल की विशेष समिति का गठन किया गया है। वर्तमान में निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) से आंतरिक निरीक्षण, साविधिक लेखापरीक्षा, अंतर शाखा / अंतर बैंक खातों, बहियों के मिलान के प्रमुख क्षेत्रों आदि का पर्यवेक्षण अपेक्षित है। एसीबी से यह भी अपेक्षित है कि वह बैंक में धोखाधड़ी के संबंध में निवारक पहलुओं तथा की जा रही अनुवर्ती कार्रवाई पर भी ध्यान दे। यह विशेष समिति रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के मामलों का विशेष रूप से अनुश्रवण और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर ध्यान देती है, जबकि एसीबी सामान्य रूप से धोखाधड़ी के सभी मामलों का भी अनुश्रवण जारी रखेगी।

यह विशेष समिति, निदेशक मंडल के निम्नलिखित सदस्यों को शामिल कर गठित की गई है।

- अध्यक्ष
- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य
- भारतीय रिजर्व बैंक नामिती को छोड़कर निदेशक मंडल के दो अन्य सदस्य

आज की तारीख में गैर-कार्यपालक अध्यक्ष का पद रिक्त है राष्ट्रीयकृत बैंक योजना 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के अनुबंध 12(6) की शर्तों के अनुसार श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.4.2 कार्य :

इस विशेष समिति का प्रमुख कार्य रु.1.00 करोड़ एवं अधिक के धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा एवं उनका अनुश्रवण करना होगा ताकि:

- धोखाधड़ी की संभावनाओं वाली कार्यप्रणालीगत कमियों को पहचानने और उन पर रोक लगाने हेतु आवश्यक उपाय करना।
- धोखाधड़ी का पता लगाने में हुई देरी का पता लगाने और/ अथवा बैंक के उच्च प्रबंधन या भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित करने में यदि कोई देरी हुई हो, तो उनके कारणों की पहचान करना।
- सीबीआई/ पुलिस जांच एवं वसूली स्थिति की प्रगति का अनुश्रवण करना।
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में प्रत्येक स्तर पर स्टाफ उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाता है तथा यदि स्टाफ संबंधी कोई कार्रवाई हो तो उसे तत्काल निपटाया जाता है।
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति रोकने हेतु आंतरिक नियंत्रणों को सुदृढ़ करने जैसी उपचारात्मक कार्रवाई की समीक्षा करना।
- धोखाधड़ी निवारक उपायों को सुदृढ़ बनाने हेतु यथावश्यक अन्य उपाय लागू करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी।

5.5 बोर्ड की वसूली प्रबंधन समिति (आरईएमसी) :

5.5.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुक्रम में नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए वसूली प्रबंधन के लिए बोर्ड स्तर की उप समिति गठित की गयी है। यह समिति अपनी रिपोर्ट बोर्ड को प्रस्तुत करेगी।

समिति का संगठन इस प्रकार है:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.5.2 कार्य :

नियमित आधार पर वसूली की प्रगति का अनुश्रवण करना एवं बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी।

5.6 बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी)

5.6.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रम में बैंक में ग्राहक सेवा की देखरेख के लिए बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति गठित की गयी है। समिति के सदस्य निम्नानुसार हैं:

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशक
- सरकार द्वारा नामित निदेशक
- चार गैर-कार्यपालक निदेशक

इनके अतिरिक्त, इन बैठकों में आंतरिक लोकपाल तथा दो विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.6.2 कार्य:

समिति निम्नलिखित कार्य कर रही है:

- i. ग्राहक सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझाव देना।
- ii. मौजूदा नीतियों एवं कार्यपद्धतियों को युक्तियुक्त बनाने तथा सरलीकरण की दृष्टि से उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा निरंतर आधार पर परिवर्तनों को सुविधाजनक बनाने हेतु समुचित प्रोत्साहनों का सुझाव देना।
- iii. बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जाने से पूर्व नीतियों की वार्षिक आधार पर समीक्षा करके संस्तुति करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी।

5.7 बोर्ड की मानव संसाधन उप-समिति (एचआरएससीबी)

5.7.1 संघटन :

समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक तथा बोर्ड द्वारा नामित कोई दो निदेशक होते हैं। इसके अतिरिक्त, मानव संसाधन के दो विशेषज्ञ भी विशेष आमंत्रित के रूप में भाग लेते हैं।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.7.2 कार्य :

निम्नलिखित पहलुओं के कार्यान्वयन का प्रबंधन एवं पुनरावलोकन :

1. एचआर पर बैंक की संपूर्ण रणनीति।
 - समग्र जनबल आयोजना व कौशल अंतराल की पहचान
 - सही प्रतिभाओं को आकर्षित करने और उनके विकास के लिये प्रणाली, प्रक्रिया और संरचना
 - उत्तराधिकार की योजना
2. बैंक के सभी स्टाफ पर लागू होने वाली निष्पादन प्रबंधन प्रणाली का विकास
 - प्रमुख दायित्व क्षेत्रों का पारदर्शी निष्पादन आकलन
 - सभी स्टाफ को विकास संबंधी फीडबैक प्रणाली देना
3. बैंक की रणनीति और बाजार की परिस्थितियों के अनुरूप एचआर नीतियों को सुव्यवस्थित करना
 - पुरस्कार व प्रोत्साहन
 - पदोन्तति
 - तैनाती
4. प्रशिक्षण
 - विशिष्ट कारोबारी कौशल प्रशिक्षण
 - सभी स्टाफ सदस्यों को सामान्य प्रशिक्षण/पुनर्शर्या
5. एचआर संबंधी सभी कार्यों का आईटी स्वचालन

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 7 बैठकें आयोजित की गयी।

5.8 बोर्ड की हितधारकों की संबंध समिति (एसआरसीबी)

5.8.1 संघटन :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के अनुक्रम में, कार्यपालक निदेशकों एवं तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों की बोर्ड की स्टेकधारक संबंध समिति (एसआरसीबी) गठित की गयी है।

डॉ. जयदेव मदुगुला, शेयरधारक निदेशक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

5.8.2 कार्य :

- बैंक के प्रतिभूति धारकों के शेयरों के अंतरण/द्रांसमिशन, वार्षिक रिपोर्ट की अप्राप्ति, घोषित लाभांशों की अप्राप्ति, नए/डुप्लिकेट प्रमाणपत्रों को जारी करने, सामान्य बैठकों आदि से संबंधित शिकायतों का निपटान एवं अनुश्रवण करना.
 - शेयरधारकों द्वारा मतदान के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना.
 - रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में बैंक द्वारा अपनाई गयी सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा करना.
 - बैंक द्वारा अदावी लाभांशों की प्रमात्रा को कम करने एवं कंपनी के शेयरधारकों द्वारा लाभांश वरंटों/वार्षिक रिपोर्टों/ सांविधिक नोटिसों की ससमय प्राप्ति को सुनिश्चित करने हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों एवं पहल की समीक्षा करना.

दिनांक 30.03.2022 से प्रभावी, एसआरसीबी के दायरे को ग्राहक सेवा, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस (ईएसजी) कार्य से संबंधित कार्यों के साथ अधिदेशित कर बढ़ाया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयीं।

5.8.3 अनुपालन अधिकारी का नाम एवं पदनाम :

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 6 के अनुक्रम में, श्री मंगेश मांड्रेकर को कंपनी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया एवं निवेशक शिकायत निवारण के लिए बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया.

5.8.4 वर्ष 2021-22 के दौरान शेयरधारकों की शिकायतों का विवरण :

31.03.2022 को समाप्त वित्त वर्ष की तुलना में
31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष में प्राप्त, निस्तारित
एवं लम्बित शिकायतों की संख्या प्रदर्शित करने वाली
तुलनात्मक तालिका निम्नानुसार है :-

	विवरण	31.03.22 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए	31.03.21 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए
ए.	वर्ष के प्रारम्भ में शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0
बी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों से प्राप्त शिकायतों की संख्या	8	18
सी.	वर्ष के दौरान शेयरधारकों की निस्तारित की गयी शिकायतों की संख्या	8	18
डी.	वर्ष की समाप्ति पर शेयरधारकों की लम्बित शिकायतों की संख्या	0	0

5.9 आईटी रणनीति समिति (आईटीएससी)

5.9.1 संघटन

आईटी सुशासन उपायों के एक भाग के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक ने बोर्ड को आईटी पर रणनीतिक मार्गदर्शन देने और बोर्ड की ओर से आईटी निवेश की समीक्षा के लिए आईटी रणनीति समिति बनाने की संस्तुति की है। समिति में निम्नलिखित शामिल होंगे :

- एमडी एवं सीईओ
 - कार्यपालक निदेशकगण

- सरकार द्वारा नामिती निदेशक
- दो गैर कार्यपालक निदेशक जिसमें से एक स्वतंत्र निदेशक होगा
- दो बाहरी आईटी विशेषज्ञ
- मुख्य सूचना अधिकारी (बैंक के आईटी कार्यों के प्रमुख, मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक)

सुश्री प्रीति जय राव, शेयरधारक निदेशक ने समिति की अध्यक्षता की।

5.9.2 कार्य :

- आईटी रणनीति और नीति दस्तावेजों का अनुमोदन.
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने प्रभावी रणनीतिक योजना प्रक्रिया बनाई है।
- यह पुष्टि करना कि कारोबारी रणनीति वास्तव में आईटी रणनीति के साथ संयोजित है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी की संगठनात्मक संरचना, कारोबारी मॉडल और इसकी दिशा के अनुरूप है।
- यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधन ने कारोबार बढ़ाने में आईटी का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया एवं पद्धति का पालन किया है।
- यह सुनिश्चित करना कि आईटी में निवेश जोखिम और लाभ के संतुलन के अनुरूप रहें और बजट स्वीकार करने योग्य हों।
- रणनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक आईटी संसाधनों का प्रयोग तय करने के लिए प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त उपायों का अनुश्रवण और आईटी संसाधनों के स्रोत और उपयोग के बारे में उच्च स्तरीय मार्गदर्शन देना।
- बैंक के सुस्थिर विकास के लिए आईटी निवेश में उचित संतुलन सुनिश्चित करना।
- आईटी जोखिम और नियंत्रणों के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करना और अनुश्रवण के लिए प्रबंधन की तैयारी का मूल्यांकन करना।
- आईटी रणनीतियों के कार्यान्वयन में वरिष्ठ प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना।

- उच्च स्तरीय नीति संबंधी मार्गदर्शन (उदाहरणार्थ- जोखिम, फंडिंग या प्राप्ति स्रोत संबंधी)
- यह पुष्टि करना कि आईटी या कारोबारी संरचना इस प्रकार बनायी गयी है जिससे आईटी से अधिकतम कारोबारी लाभ प्राप्त हो।
- बैंक स्तर पर आईटी पर व्यय होने वाली समग्र राशि का पर्यवेक्षण और यह पता करना कि प्रबंधन के पास आईटी जोखिम के लिए संसाधन हैं।
- आईटी के कामकाज और कारोबार में इसके योगदान की समीक्षा (अर्थात् वायदे के अनुरूप लाभ मिल रहा है)
- आईटी आपदा प्रबंधन के लिए तंत्र स्थापित करना।
- बैंक के डिजिटल लेनदेनों को बढ़ाने के लिए तत्संबंधी परामर्श, दिशानिर्देश एवं अनुश्रवण हेतु डिजिटल लेनदेन पर बोर्ड स्तरीय उप समिति के रूप में कार्य करने के लिए।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 5 बैठकें आयोजित की गयी।

5.10 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

बैंक की पूर्व में दो अलग समितियां अर्थात् नामांकन समिति एवं पारिश्रमिक समिति थीं जो कि भारतीय रिजर्व बैंक एवं वित्त मंत्रालय द्वारा पूर्व में जारी दिशानिर्देशों के अनुसार गठित की गयी थीं। वित्त मंत्रालय ने अपने पत्रांक एफ. नं. 16/19/2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से यह सुझाव दिया कि बोर्ड को अलग नामांकन समिति एवं परिश्रमिक समिति के स्थान पर, कथित दोनों समितियों को सुपुर्द किए गए कार्यों को करने एवं भारतीय रिजर्व बैंक के पत्रांक आरबीआई/डीबीआर/2019-20/71 मास्टर दिशानिर्देश डीबीआर.एपीपीटी.नं. 9/29.67.001/2019-20, दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से निर्दिष्ट अनुसार बैंक के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के नाम से एक समिति गठित कर सकता है।

इस प्रकार, उपरोक्त वर्णित वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देशों के क्रम में, निदेशकों के बोर्ड ने 06.12.2019 से प्रभावी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप दो अलग समितियों के स्थान पर एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) के गठन को अनुमोदित किया है।

5.10.1 संघटन :

भारतीय रिजर्व बैंक ने मास्टर निर्देश क्र. 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 02.08.2019 के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) के निर्देशों, 2019 को जारी किया है। कथित निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के क्रम में, बैंक को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3) (आई) के अधीन निदेशकों के रूप में निर्वाचित व्यक्तियों के 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया को करने के लिए नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति को गठित करने की आवश्यकता है। समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- अधिनियम 9(3) (जी) की धारा के अधीन नामित गैर-कार्यकारी निदेशक
- अधिनियम 9(3) (एच) की धारा के अधीन नामित तीन गैर-कार्यकारी निदेशक

दिशानिर्देशों के अनुसार, गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को भी समिति में नामित किया जा सकता है परंतु वह समिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे।

5.10.2 कार्य :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9(3)(i) के अधीन किसी व्यक्ति के निदेशक के रूप में चयन हेतु "योग्य एवं उपयुक्त" निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया करना।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए और एनआरसी के कोरम के अभाव में, की कमी को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड द्वारा शेयरधारक निदेशकों के चुनाव से संबंधित एजेंडे को दो बार लिया गया और एनआरसी की बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

5.11 अनुशासनिक कार्यवाही और पदोन्नति समिति (डीपीपीसी)

बैंक के पास पहले दो अलग समितियां यथा निदेशक पदोन्नति समिति (डीपीसी) और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता (डीपीसी-V) थीं।

वित्त मंत्रालय ने अपने पत्राचार एफ. सं. 16/19/2019 - बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 के माध्यम से बैंक की अपनी पहल पर गठित बोर्ड समितियों की निरंतरता की आवश्यकता और उनकी संख्या को युक्तिसंगत बनाने के लिए अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने वाले उनके कार्यों की संभावना की, उनके बोर्ड में समीक्षा करने की सलाह दी।

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को युक्तिसंगत बनाने के लिए और वित्त मंत्रालय के दिशानिर्देश दिनांक 24.10.1990 और बुनियादी संरचना को ध्यान में रखते हुए, निदेशकों की पदोन्नति समिति और अनुशासनिक कार्यवाही समिति - सतर्कता / गैर-सतर्कता को 06.12.2019 से समाप्त करने का निर्णय लिया।

5.11.1. संघटन :

निदेशक मंडल ने समिति के गठन को निम्न रूप में मंजूरी दी है

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित निदेशक

वेतनमान VI से VII और वेतनमान VII से VIII की पदोन्नति प्रक्रिया के लिए साक्षात्कार आयोजित करते समय स्वतंत्र सदस्य / बाहर के विशेषज्ञों को शामिल किया जाना है।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.11.2. कार्य :

- टीईजीएस VI से टीईजीएस VII में तथा टीईजीएस VII से टीईजीएस VIII में पदोन्नति प्रक्रिया कराना
- टीईजीएस VI एवं टीईजीएस VII के कार्यपालकों का क्रमशः टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति न होने पर अपीलों पर विचार करना।
- टीईजीएस VII एवं VIII में पदोन्नति के ऐसे मामले पर विचार करना जहां सील्ड कवर प्रक्रिया को अपनाया गया है।
- सतर्कता, गैर-सतर्कता अनुशासनिक मामलों तथा विभागीय जांच की समीक्षा करना
- उच्च कार्यपालकों के एपीएआर अंकों की समीक्षा

- अभ्यावेदन के आधार पर प्रकटीकरण की तिथि से
15 दिनों के भीतर करना
- महाप्रबंधकों को प्रमुख दंड के लिए नियमित विभागीय कार्यवाई के विरुद्ध अपील की समीक्षा करना.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 6 बैठकें आयोजित की गयी।

5.12 बोर्ड की शेयर अंतरण समिति (एसटीसीबी)

5.12.1. संघटन :

इस समिति में पूर्व कार्यपालक निदेशकों, मुख्य अनुपालन अधिकारी/मुख्य वित्तीय अधिकारी और महा प्रबंधक / उप महा प्रबंधक / सहायक महा प्रबंधक बोर्ड सचिव शामिल हैं।

समिति की संरचना निम्नानुसार है :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ या उनकी अनुपस्थिति में, बोर्ड सचिवालय के प्रभारी कार्यकारी निदेशक
- दो गैर कार्यकारी निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.12.2. कार्य :

बैंक ने शेयरों के शीघ्र अंतरण के लिए निदेशक मंडल की शेयर अंतरण समिति गठित की है, जिसे शेयरों के अंतरण, प्रेषण, डीमैट एवं डुलीकेट शेयर जारी करने आदि की पुष्टि के अधिकार दिये गये हैं।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाज़ारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

- प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
- दावारहित उचंत खाते से दावा
- प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान

- डी. पृष्ठांकन
- ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- जी. संचारण
- एच. परिवहन

वर्ष के दौरान, एसटीसीबी की बैठक 4 बार आयोजित की गई तथा परिचालन के जरिए 19 संकल्प पारित किए गए थे।

5.13. गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ता के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी एवं डब्ल्यूडी)

पूर्व में बैंक की दो अलग समितियां थीं अर्थात् "गैर सहकारी" उधारकर्ता के वर्गीकरण के लिए समीक्षा समिति (आरसीएनसीबी) और बैंक के जानबूझकर चूककर्ता से संबंधित समीक्षा समिति (आरसीडब्ल्यूडीबी). एमओएफ ने अपने पत्रांक एफ. क्र. 16/ 19/ 2019-बीओ.1 दिनांक 30.08.2019 को बोर्ड में बैंक की स्वयं की पहल पर स्थापित बोर्ड समितियों के जारी रहने की आवश्यकता की समीक्षा करने तथा उनके कार्यों को किसी अन्य बोर्ड समिति या बोर्ड द्वारा किए जाने की समीक्षा करने की सलाह दी ताकि उनकी संख्या को तर्कसंगत बनाया जा सकें।

निदेशक मंडल ने अपनी समितियों को तर्कसंगत बनाने और उपर्युक्त दो समितियों से संघटन के आधार पर उनमें संशोधन करने का निर्णय लिया और गैर सहकारी उधारकर्ता की पहचान करने तथा गैर सहकारी उधारकर्ता और जानबूझकर चूककर्ताओं के वर्गीकरण के लिए एकल समिति गठित करने का निर्णय किया जो 06.12.2019 से प्रभावी है।

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कोई दो स्वतंत्र निदेशक

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.13.1. कार्य :

- समिति, अनुमोदन समिति के आदेशों की समीक्षा करेगी, अर्थात् कार्यपालक निदेशक के नेतृत्व वाली समिति द्वारा उधारकर्ता की रिकार्डिंग असहयोगी के रूप में किये जाने पर बोर्ड की समीक्षा समिति द्वारा पुष्टि होने के बाद ही यह आदेश अंतिम होगा।
- छमाही आधार पर असहयोगी उधारकर्ताओं की स्थिति की

समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए करना कि क्या बोर्ड को प्रस्तुत करने से पूर्व ऋण अनुशासन रिटर्न व सहकारी व्यवहार द्वारा उनके नाम को अवर्गीकृत किया जा सकता है।

- जानबूझकर चूककर्ता के रूप में उधारकर्ता के वर्गीकरण पर कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा पारित आदेशों की समीक्षा और पुष्टि करना.
- सीआरआईएलसी को प्रस्तुत तिमाही रिटर्न की समीक्षा करना.

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी।

5.14 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति (सीएसआरसी)

कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति का उद्देश्य बोर्ड तथा बैंक के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पन्सिबिलिटी समिति को पूरा करने में सहायता करना है।

5.14.1 संघटन :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(एच) के तहत नामित कोई एक अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक।
- बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(आई) के तहत चुने गए एक शेयरधारक निदेशक।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.14.2 कार्य :

- निदेशक मंडल को सीएसआर नीति तैयार कर अनुशंसित किया जाना एवं आगे की जाने वाली गतिविधियों का संकेत करना।
- परियोजनाओं का अनुमोदन सीएसआर नीति के तहत समिति द्वारा अनुमोदित यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट या अन्य ऐसी इकाई/संस्था के माध्यम से किया जाना चाहिए।
- महाप्रबंधक/कार्यपालक निदेशक/प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित प्राधिकारों के प्रयोग की

समीक्षा तिमाही आधार पर करना। यूनियन बैंक सोशल फाउंडेशन ट्रस्ट के कार्य निष्पादन का तिमाही आधार पर समीक्षा करना।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 4 बैठकें आयोजित की गयी।

5.15 पूँजीगत निधियों की उगाही के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ)

5.15.1 संघटन :

बोर्ड द्वारा दिए गए अनुमोदन के अनुसार पूँजीगत निधियों की उगाही के लिए आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति की दृष्टि से समिति का गठन किया गया है। समिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकगण भी शामिल हैं।

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.15.2 कार्य:

निदेशक मंडल / शेयरधारकों जैसा भी मामला हो, द्वारा प्राधिकृत समिति को पूँजीगत निधियों की उगाही हेतु आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करने तथा ऐसे सभी कार्य, कृत्य करने तथा विषय एवं मामले निपटाने, जो उसके सम्पूर्ण विवेकाधिकार के अनुसार आवश्यक, उचित एवं अपेक्षित हैं, करने के लिए प्राधिकार हैं। लेकिन यह बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय एवं सेबी विनियमन के अधीन प्रदत्त अनुसार प्रमात्रा एवं माध्यम, ट्रांच की संख्या, कीमत या कीमतें, डिस्काउंट/प्रीमियम, कर्मचारियों, ग्राहकों, वर्तमान शेयरधारकों और/या अन्य किसी व्यक्ति को आरक्षण देने तथा ऐसे निर्गम (मों) का समय निर्धारण, अपने विवेकाधिकार पर निर्गम की शुरुआत करने के लिए प्रतिबंधित नहीं हैं। बशर्ते कि यह लागू नियमों एवं विनियमन तथा भारत सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अध्यधीन है।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 8 बैठकें आयोजित की गयी।

5.16 कार्य निष्पादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति (बीसीपीई)

5.16.1 संघटन :

वित्त मंत्रालय ने पत्रांक एफ.नं. 9/5/2019-आईआर दिनांक 30.08.2019 द्वारा बैंक को सलाह दी कि प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण कार्य (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) एवं महाप्रबंधक प्रभारी आंतरिक नियंत्रण (जोखिम, अनुपालन एवं लेखापरीक्षा) के कार्य निषादन मूल्यांकन हेतु बोर्ड समिति का गठन किया जाएं।

दिनांक 14.11.2019 को संप्रेषित उपर्युक्त वर्णित एमओएफ के अनुसार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों के अनुमोदन के साथ कार्य निषादन मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएं।

1. गैर कार्यपालक अध्यक्ष (एनईसी)
2. सरकार द्वारा नामिती निदेशक, एवं
3. बोर्ड में सबसे लंबे समय तक सेवारत शेयरधारक निदेशक।

कार्यालय में एनईसी का पद खाली होने की दशा में, बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष, एनईसी के स्थान पर समिति के सदस्य होंगे।

5.16.2 कार्य :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, कार्यपालक निदेशक एवं महाप्रबंधकों के वार्षिक कार्य निषादन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन, समीक्षा एवं स्वीकृति।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 2 बैठकें आयोजित की गयी।

5.17 ऋण अनुमोदन समिति-1 (सीएसी-1)

5.17.1 संघटन :

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधानों) योजना, 1970 के खंड 13ए के अनुसार, बैंक ने ऋण-अनुमोदन समिति-1 का गठन किया है। समिति रु. 800 करोड़ तक के किसी भी एकल ऋण प्रस्ताव के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करेगी (ए और अधिक के बाह्य रेटिंग किए खाते जिनकी वैध रेटिंग है) और अन्य खातों के लिए रु.600 करोड़ तक तथा समूह एक्सपोजर के लिए रु.800 करोड़ और यदि एक्सपोजर इन सीमाओं से अधिक होता है तो उस पर बोर्ड की प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

सीएसी-1 में निम्न शामिल हैं :

- प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
- कार्यपालक निदेशकगण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी ऋण
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी वित्त/मुख्य वित्त अधिकारी और
- मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन

श्री राजकिरण रै जी., बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ ने समिति की अध्यक्षता की।

5.17.2 कार्य :

अग्रिम से संबंधित सभी मामले, जिसमें अनुमोदन/समीक्षा - नवीकरण, विविध अनुरोध, ब्याज में रियायत, समझौते/बहु खाते में डालने वाले प्रस्ताव, पूँजी एवं राजस्व व्यय का अनुमोदन, अधिग्रहण एवं किराए पर परिसर आदि जो इसके प्रत्यायोजन अधिकारों में आते हैं, सीएसी-1 में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2021-22 के दौरान समिति की 24 बैठकें आयोजित की गयी।

6. साधारण सभा की बैठकें:

पिछले 3 वर्षों के दौरान आयोजित शेयरधारकों की साधारण बैठकों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

बैठक का स्वरूप	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प
पोस्टल बैलट	14 फरवरी, 2019	--	कर्मचारी शेयर खरीद योजना (यहाँ "यूनियन बैंक-ईएसपीस" के रूप में संदर्भित है) के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को एक या एक से अधिक भाग में ₹10/- (रुपए दस मात्र) प्रति अंकित मूल्य के 8,00,00,000 (आठ करोड़) तक के नए इक्विटी शेयर सृजित करना, प्रदान करना, जारी तथा आबंटित करना, जो बैंक की मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ परी प्रसु रैकिंग के अनुरूप हैं।
असाधारण समान्य बैठक	26 मार्च, 2019 प्रातः 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	₹68.84 के प्रीमियम सहित ₹78.84 की दर से ₹4,112 करोड़ के नकदी आधार पर कुल 52,15,62,658 इक्विटी शेयर वरीयता आधार पर भारत सरकार को जारी करना.
सत्रहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	28 जून, 2019 प्रातः 11:00 बजे	रामा एंड सुंदरी वाटुमल ऑडिटोरियम, के सी कॉलेज, विद्यासागर, प्राचार्य के.एम. कुंदनानी चौक, 124, दिनशा वाचा रोड, चर्चगेट, मुम्बई-400 020	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹4,900 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
अठारहवीं वार्षिक सामान्य बैठक	04 अगस्त, 2020 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	समंजन की दिनांक को बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में जमा शेष को 31 मार्च, 2020 को बैंक की संचयी हानि ₹32758,49,47,263.10 (रुपए बत्तीस हजार सात सौ अद्वावन करोड़ उनचास लाख सेंतालीस हजार दो सौ तिरेसठ एं दस पैसे मात्र) में समंजित करने हेतु तथा इसको वर्तमान वित्त वर्ष 2020 -21 के दौरान खाते में लेने के लिए
असाधारण सामान्य बैठक	30 दिसंबर, 2020 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹6,800 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.
असाधारण सामान्य बैठक (रद्द)	25 जून, 2021 प्रातः 11:00 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	बैठक में एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव ही एकमात्र एजेंडा था और बैंक को केवल एक वैध नामंकन प्राप्त हुआ था और इसलिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 1998 यथा संशोधित, के विनियम 66 के अनुसार बैठक को रद्द कर दिया गया था.
उन्नीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक	10 अगस्त, 2021 प्रातः 11 बजे	केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक, मुंबई वीसी या ओएवीएम के द्वारा	ऑफर दस्तावेज़/प्रोस्पेक्टस या ऐसे अन्य दस्तावेज़ के द्वारा भारत या विदेश में एफपीओ/राइट्स/ क्यूआईपी/ अधिमानी आबंटन आदि के जरिए ₹3,500 करोड़ (प्रीमियम सहित यदि कोई हो) तक इक्विटी शेयर के लिए पूंजी में वृद्धि करना.

7. प्रकटन

बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एं अंतरण) अधिनियम 1970 और राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एं विविध प्रावधान) योजना 1970, सेवी (सूचीबद्धता दायित्व एं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 तथा भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार और सेवी द्वारा जारी दिशानिर्देशों/ परिपत्रों से बैंक संचालित होता है।

यह बताया गया है कि बैंक सूचीबद्धता विनियमों की लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन कर रहा है। हालांकि, वर्तमान में निदेशक मंडल में कुछ रिक्त पदें हैं जिसके परिणामस्वरूप कम संख्या वाली कई समितियों का गठन किया गया है और इस प्रकार, बैंक सेबी सूचीबद्धता विनियमों की आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करने में असमर्थ है। बैंक ने भारत सरकार से रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है।

उक्त खंड के अंतर्गत गैर-अनिवार्य अपेक्षाओं से संबंधित अनुपालन की जानकारी भी इस रिपोर्ट में दी गई है। खंड द्वारा निर्धारित अन्य प्रकटन अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

7.1 निदेशकों का पारिश्रमिक :

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा कार्यपालक निदेशकों को भारत सरकार द्वारा इस प्रयोजन से बनाये गये नियमों के अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान और यात्रा व्ययों एवं विराम व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती है। पूर्णकालिक कार्यपालकों की नियुक्ति के अन्य नियम एवं शर्त राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खंड 8 के अनुसार हैं, जिनके विस्तृत विवरण लेखों की टिप्पणियों में दिए गए हैं।

बैठक शुल्क (फीस) :

बैंकिंग कंपनी अधिनियम की धारा (9) की उप धारा (3) की शर्तों (ई), (एफ), (जी), (एच) वं (आई) के अनुसार नियुक्त किए गए निदेशक वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र एफ संख्या 15/1/2011-बीओ-आई दिनांक 30 अगस्त, 2019, बोर्ड की बैठकों एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक योजना की शर्त 17 (1) के अनुसार, बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता तथा बोर्ड की समितियों की बैठकों की अध्यक्षता के लिए बोर्ड के निदेशकों द्वारा निर्धारित अतिरिक्त शुल्क सहित प्रति निदेशक कुल अधिकतम सीमा ₹.25 लाख के साथ नीचे दिए गए तरीके से बैठक शुल्क प्राप्त करने के पात्र होंगे।

बोर्ड के निदेशकों ने 29 जुलाई, 2020 की अपनी बैठक द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक में भाग लेने हेतु 1 अप्रैल, 2021 से ₹.70000 बैठक शुल्क एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों में भाग लेने हेतु ₹.35000 के भुगतान को अनुमति प्रदान की है। बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता हेतु ₹. 20000 एवं बोर्ड की समितियों की बैठकों हेतु ₹. 10000 के अतिरिक्त शुल्क की स्वीकृति दी गई है।

उपरोक्त सूचना बैंक की वेबसाइट में <http://www.unionbankofindia.co.in/english/Making-payment.aspx> लिंक के अंतर्गत भी उपलब्ध है।

यात्रा एवं विराम भत्ता :

अपने लिये पात्र शुल्क के अतिरिक्त बैंक के कार्य से यात्रा करने वाले प्रत्येक निदेशक को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 खंड 17 की शर्तों के अनुसार यात्रा व्यय एवं विराम व्यय, यदि कोई हो, का समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

7.2 महत्वपूर्ण लेनदेन एवं आर्थिक संबंधों का प्रकटन :

बैंकिंग कारोबार की सामान्य प्रक्रिया के अतिरिक्त, बैंक ने बड़े स्तर पर बैंक के हितों की संभाव्य प्रतिकूलता को ध्यान में रखते हुए कोई महत्वपूर्ण लेनदेन नहीं किया है, जो बैंक के हितों के विपरीत हो।

बैंक में यह स्थापित प्रथा है कि बोर्ड या बोर्ड की उप-समितियों की उन बैठकों में वे निदेशक भाग नहीं लेते हैं जिनमें उनके या उनके रिश्तेदारों/फर्मों/कंपनियों के हितों से संबंधित मामलों पर चर्चा होती है।

7.3 आर्थिक संबंध या लेनदेन का प्रकटन :

बैंक के गैर-कार्यपालक निदेशकों का सामान्य बैंकिंग कारोबार लेनदेन तथा बोर्ड एवं समिति की बैठकों हेतु उन्हें प्रदत्त बैठक शुल्क के अलावा उनका बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं है।

7.4 सार्वजनिक निर्गमों, राइट निर्गमों, अधिमानी निर्गमों आदि के आगम :

वर्ष 2021-22 के दौरान क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के माध्यम से 1447 करोड़ रुपये (लगभग) की इक्विटी की आय जुटाई गई थी और उक्त प्राप्त राशि का उपयोग बेसल छद्म दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर 1 पूँजी को बढ़ाने के लिए आरबीआई और बैंक की विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए किया गया था।

बॉन्ड्स: वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक ने ₹. 2000 करोड़ के बासेल III अनुपालित टियर 2 बांड जारी किए एवं ₹.5000 करोड़ के बासेल III अनुपालित एटी 1 बांड जारी किए। आरबीआई और बैंक की विकास योजनाओं और सामान्य कॉर्पोरेट आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए उक्त प्राप्त राशि का उपयोग आरबीआई के बासल III दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की टियर 1 और टियर 2 पूँजी को बढ़ाने और बैंक के दीर्घकालिक संसाधनों को बढ़ाने के लिए किया गया था।

7.5 दंड या आक्षेप :

गत 3 वर्षों के दौरान बैंक पर स्टॉक एक्सचेज, सेबी या अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा पूँजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई अर्थदंड या आक्षेप नहीं लगाया गया है।

7.6 क्विसिल ब्लोअर नीति :

बैंक ने गुप्त सूचना नीति लागू की है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>.

लेखापरीक्षा समिति उक्त नीति के कार्य की आवधिक रूप से समीक्षा करती है। इसके अतिरिक्त, यह भी निर्दिष्ट किया जाता है कि किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति से संपर्क करने से रोका नहीं गया है।

7.7 प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति :

सेबी (सूचीबद्धता और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियम 46(2)(एच) के अनुपालन में बैंक ने प्रमुख सहायक निर्धारण की नीति निरूपित की है तथा इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है <https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

हालांकि आज की तारीख में बैंक की कोई प्रमुख सहायक नहीं है।

7.8 संबंधित पक्ष संब्यवहार नीति :

बैंक द्वारा संबंधित पक्ष संब्यवहारों के निपटान हेतु संबंधित संब्यवहार नीति निरूपित की गयी है। इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx> बैंक का कोई भी संबंधित पक्ष संब्यवहार नहीं था, जिसका वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान बैंक का वृहद स्तर पर हित प्रभावित नहीं हुआ।

7.9 लाभांश वितरण नीति :

बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए लाभांश की घोषणा हेतु नीति तैयार की है। इस नीति तक निम्नलिखित लिंक के द्वारा पहुंचा जा सकता है।

<https://www.unionbankofindia.co.in/english/aboutus-policiescodes.aspx>

7.10 अधिग्रहण कूट:

बैंक ने समय-समय पर सेबी के यथा संशोधित 2011 प्रावधानों (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण एवं टेकओवर) का अनुपालन किया है।

7.11 सेबी विनियम 2015 का अनुपालन (आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकना) :

विनियमों के अनुसार बैंक ने नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों को बैंक के शेयर में लेनदेन करने में आंतरिक भेदिया ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक संहिता को तैयार किया है। इन विनियमों के लिए आवश्यक कई प्रपत्रों को तैयार किया गया है जिनके द्वारा बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों से आवधिक सूचनाएं प्राप्त की जा सकें। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विवरणों के साथ बैंक के नामित कर्मचारियों एवं निदेशकों के लिए बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो को बंद रखा गया है।

ट्रेडिंग विन्डो बंद होने कि तिथि	बंद होने का कारण
31 मार्च, 2021 से 09 जून, 2021	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
30 जून, 2021 से 31 जुलाई, 2021	30 जून, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
30 सितंबर, 2021 से 4 नवंबर, 2021	30 सितंबर, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।
31 दिसंबर, 2021 से 9 फरवरी, 2022	31 दिसंबर, 2021 को समाप्त हुई तिमाही के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा।

7.12 प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण :

इसे वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है।

7.13 कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट :

बैंक ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में बीएसई लिमिटेड (बीएसई) एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) को निर्दिष्ट समयावधि में प्रस्तुत किया।

7.14 वेबसाइट पर जानकारी का प्रचार :

बैंक ने सूचियन विनियम 46 के खंड (बी) से (आई) तक के अधीन आवश्यक जानकारी को अपने वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर प्रदर्शित किया है।

7.15 सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त फीस का व्यौरा :

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों को बैंक एवं इसके सहायक द्वारा सभी सेवाओं हेतु समेकित रूप से कुल रु. 56.78 करोड़ का भुगतान किया गया है।

7.16 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में प्रकटीकरण (बचाव, रोकथाम एवं निवारण) अधिनियम, 2013:

- ए. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान दाखिल की गयी शिकायतों की संख्या : 10 (दस)

7.17 शाखा नेटवर्क

31 मार्च, 2022 तक हमारे बैंक का शाखा नेटवर्क 8870 शाखाओं और 3 विदेशी शाखाओं (हांगकांग, सिडनी, दुबई) के साथ पूरे देश में फैला हुआ है। इनमें से 57 प्रतिशत शाखाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों में स्थित हैं।

यथा 31.03.2022 तक शाखा का नेटवर्क

	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	मेट्रो	विदेशी	कुल
शाखाओं की संख्या	2537	2552	1844	1937	3	8873
शाखा (%)	28	29	21	22	--	100

यथा 31.03.2022 तक राज्यवार शाखा नेटवर्क



7.18 क्रेडिट रेटिंग

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत या विदेश में सभी डेव्ह इन्स्ट्रुमेंट या कोई मियादी जमा राशि कार्यक्रम या फंड को जुटाने हेतु बैंक का प्रस्ताव कोई योजना, सभी का पुनर्रक्षण के सहित क्रेडिट रेटिंग्स की सूची प्राप्त की गयी है।

रेटिंग एजेंसी	बासल III		बासल II		जमा प्रमाणपत्र	आउटलूक
	अतिरिक्त टियर 1	टियर 2	लोअर टियर II	अप्पर टियर II		
ब्रिकवर्क	BWR AA	BWR AA+	-	-	-	स्थाई
क्रिसिल	CRISIL AA	CRISIL AA+	CRISIL AA+	-	-	स्थाई
केरर	CARE AA	CARE AA+	CARE AA+	-	-	स्थाई
इंडिया रेटिंग	IND AA	IND AA+	-	-	-	स्थाई
इकरा लिमिटेड	-	ICRA AA+	-	-	ICRA A1+	स्थाई

एफआईटीसीएच - दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 की रेटिंग रिपोर्ट:

संवर्ग	रेटिंग
दीर्घकालिक जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	"BBB-" आउटलूक नकारात्मक
अल्पावधि जारीकर्ता चूक रेटिंग (आईडीआर)	F3
व्यवहार्यता रेटिंग (वीआर)	b

स्टैंडर्ड & पूर रेटिंग दिनांक 25 जनवरी, 2022

संवर्ग	रेटिंग
जारीकर्ता ऋण रेटिंग (दीर्घ अवधि/ अल्प अवधि)	BB+/Stable/B
स्टैंडअलोन ऋण प्रोफाइल (एसएसीपी)	bb-
बैंक सीनियर अंसेक्युर्ड नोट्स (दीर्घ अवधि)	BB+

आउटलूक: स्टेबल

8. संप्रेषण के साधन

बैंक के तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय परिणाम बिजनेस स्टैन्डर्ड (अंग्रेजी) सहित प्री प्रेस जर्नल (अंग्रेजी), नवभारत (हिंदी), नवशक्ति (मराठी) आदि अग्रणी समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए हैं। ये परिणाम बैंक की वेबसाइट [www.unionbankofindia.co.in](http://unionbankofindia.co.in) पर भी दर्शाए गये हैं। इसी प्रकार बैंक

द्वारा जारी प्रेस विज्ञापि, संबंधित प्रस्तुतियां, शेयरधारकों का पैटर्न आदि भी बैंक की वेबसाइट पर "निवेशक संबंध" के अंतर्गत उपलब्ध कराये गये हैं।

9. शेयरधारकों की सूचना

9.1 वित्त वर्ष - 1 अप्रैल से 31 मार्च

9.2 इक्विटी शेयर एवं बॉन्ड की सूचीबद्धता - बैंक के इक्विटी शेयर बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया में सूचीबद्ध हैं तथा इसका स्क्रिप कोड निम्नानुसार है :-

नाम	कोड
बीएसई लिमिटेड (बीएसई), फिरोज जीजीभाय टावर, दलाल स्ट्रीट, मुंबई 400 001	532477
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई), एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/ 1, जी ब्लॉक, बांग्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांग्रा (पूर्व), मुंबई-400 051	UNIONBANK-EQ

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इक्विटी शेयर के लिए वार्षिक सुचीबद्ध शुल्क दिनांक 29 अप्रैल, 2022 से पहले दोनो शेयर बाज़ारों को प्रदत्त कर दिया गया है।

बैंक ने समय -समय पर प्रॉमिजरी नोट (टियर I एवं टियर II पूँजी) के रूप में आरक्षित गैर परिवर्तनीय -बॉण्ड जारी किए हैं। 31 मार्च, 2022 को तत्संबंधित ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आईएसआईएन	बॉण्ड ब्यौरा	शृंखला	राशि (रु.करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
1	आईएनई 692A08029	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XX	1,000	15.09.2016	स्थाई	9.50
2	आईएनई 692A08086	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXIV	500	03.05.2017	स्थाई	9.08
3	आईएनई 692A08110	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXVII	500	15.12.2020	स्थाई	8.73
4	आईएनई 692A08128	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXVIII	1,000	11.01.2021	स्थाई	8.64
5	आईएनई 692A08136	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXIX	205	29.01.2021	स्थाई	8.73
6	आईएनई 434A08083	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	एटी-1 सिरीज़ IV	500	31.10.2017	स्थाई	9.20
7	आईएनई 692A08169	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXXII	2,000	22.11.2021	स्थाई	8.70
8	आईएनई 692A08177	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXXIII	1500	20.12.2021	स्थाई	8.40
9	आईएनई 692A08185	बासल IIII अनुपालन अतिरिक्त टियर I	बॉण्ड सिरीज़ XXXIV	1500	02.03.2022	स्थाई	8.50
10	आईएनई 692A09266	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XVII-A	2,000	22.11.2013	22.11.2023	9.80
11	आईएनई 692A08045	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXII	750	24.11.2016	24.11.2026	7.74
12	आईएनई 434A08075	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ डी	1,000	24.10.2017	24.10.2027	7.98
13	आईएनई 112A08051	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ II	1,000	08.11.2019	08.11.2029	8.93
14	आईएनई 112A08044	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ I	500	14.11.2017	14.11.2027	8.02
15	आईएनई 692A08094	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXV	1,000	16.09.2020	16.09.2030	7.42
16	आईएनई 692A08102	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXVI	1,000	26.11.2020	26.11.2035	7.18
17	आईएनई 692A08144	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXX	850	24.06.2021	24.06.2031	7.19
18	आईएनई 692A08151	बासल IIII अनुपालन टियर II	बॉण्ड सिरीज़ XXXI	1,150	09.07.2021	09.07.2036	7.25
		कुल		17,955			

दिनांक 31.03.2022 को बासल II अनुपालन बॉण्ड

क्र. सं.	आईएसआईएन	बॉण्ड ब्यौरा	शृंखला	राशि (रु.करोड़ में)	आबंटन की तिथि	परिपक्वता तिथि	कूपन दर % (प्र.व.)
1	आईएनई 692A09241	लोवर टियर II कुल	बॉण्ड सिरीज़ XVI-B	800 800	28.12.2012	28.12.2022	8.90

9.3 लाभांश :

निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रु. 10/- अंकित मूल्य के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 1.90/- के लाभांश की सिफारिश की है।

9.4 वार्षिक साधारण बैठक के विवरण :

लेखों और लाभांश पर विचार विमर्श के लिए बोर्ड की बैठक वार्षिक साधारण बैठक की तिथि, समय और स्थान	शुक्रवार, 13 मई, 2022
बहियों के बंद रहने की तिथि	गुरुवार, 30 जून, 2022 सुबह 11.00 बजे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वी सी) या अन्य आडिओ विजुअल साधन (ओएवीएम) सुविधा के जरिए, केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई (बैठक का अभिप्रेत स्थल) पर
इ-वोटिंग के खुलने और बंद होने की तिथि	शुक्रवार, 24 जून, 2022 से गुरुवार, 30 जून, 2022 (दोनों दिन शामिल)
सोमवार, 27 जून, 2022 (सुबह 9.00 बजे आईएसटी) से बुधवार, 29 जून, 2022 (शाम 5.00 बजे आईएसटी)	बैठक का अभिप्रेत स्थल

9.5 वित्तीय कैलेंडर :

वित्तीय वर्ष 2022-23 के वित्तीय परिणामों की घोषणा की संभावित तिथियां निम्नलिखित हैं:

वित्तीय परिणाम	घोषणा की संभावित तिथि
30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 अगस्त, 2022 तक
30 सितंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 नवम्बर, 2022 तक
31 दिसंबर, 2022 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	10 फरवरी, 2023 तक
31 मार्च, 2023 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणाम	15 मई, 2023 तक

9.6 शेयर अंतरण प्रणाली और निवेशकों की शिकायतों का निवारण :

बैंक ने शेयरों के अंतरण और उससे संबंधित अन्य मामलों के निपटान के लिए बोर्ड की शेयर अंतरण समिति गठित की है। सेबी के दिनांक 08.06.2018 के दिशानिर्देशों एवं सेबी कि प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 03.12.2018, दिनांक 31.03.2019 के बाद शेयरों को भौतिक अंतरण अनुमत नहीं है, अतः शेयर धारकों से अनुरोध है कि अपने भौतिक शेयर धारिता को डीमैट खाता खोलकर डीमैट रूप में परिवर्तित करा लें।

इसके अलावा, निवेशकों के हित में और निवेशकों द्वारा प्रतिभूति बाजारों में कारोबार में सुगमता के लिए, सेबी ने अपने परिपत्र दिनांक 25.01.2022 के जरिए निर्णय लिया है कि सूचीबद्ध संस्थाएं अब से निम्नलिखित सेवा अनुरोध की प्रोसेसिंग करते समय केवल अभौतिकी रूप में (डीमैटरियलाइज्ड मोड में) शेयर जारी करेंगी:

- ए. प्रतिभूति प्रमाणपत्र की अनुलिपि जारी करना
- बी. दागारहित उचंत खाते से दावा
- सी. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का नवीकरण/आदान-प्रदान
- डी. पृष्ठांकन
- ई. प्रतिभूतियों के प्रमाणपत्र का उप-विभाजन/विभक्त करना
- एफ. प्रतिभूति प्रमाणपत्रों/फोलियो का समेकन
- जी. संचारण
- एच. परिवहन

शेयरधारक / दावेदार विधिवत भरा हुआ फॉर्म आईएसआर -4 जमा करेगा और आरटीए / सूचीबद्ध संस्था, सेवा अनुरोधों को संसाधित करने के बाद, आपत्तियों को दूर कर, यदि कोई हो, ऐसे अनुरोधों के 30 दिनों के भीतर शेयरधारक / दावेदार को भौतिक प्रमाण पत्र के बजाय "पुष्टिकरण पत्र" जारी करेगी।

पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 120 दिनों के लिए वैध होगा, जिसके तहत शेयरधारक / दावेदार उक्त प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइज़ करने के लिए निक्षेपागार सहभागी से अनुरोध करेगा।

आरटीए पुष्टि पत्र जारी होने की तारीख से 45 दिनों और 90 दिनों की समाप्ति के बाद, प्रतिभूति धारक / दावेदार को डीमैट अनुरोध जमा करने की जानकारी देते हुए एक अनुस्मारक जारी करेगा।

आरटीए मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार भौतिक शेयर प्रमाण पत्र को बनाए रखेगा और सेवा अनुरोध को संसाधित करने के पश्चात, प्रमाण पत्र के ऊपर/ प्रमाण पत्र के पीछे "पुष्टिकरण पत्र जारी" पर मुहर लगाएगा।

निक्षेपागार सहभागी पुष्टि पत्र के आधार पर डीमैट अनुरोध तैयार करेगा और डीमैट अनुरोध को संसाधित करने के लिए सूचीबद्ध इकाई/आरटीए को अग्रेषित करेगा।

यदि पुष्टि पत्र के 120 दिनों के भीतर डीमैट अनुरोध प्राप्त नहीं होता है, तो शेयरों को इकाई के उचंत निलंब डीमैट खाते में जमा किया जाएगा।

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन 2015 के अनुपालन के क्रम में बैंक द्वारा डाटामैट्रिक्स विजनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड को अपने रजिस्ट्रार तथा शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) के रूप में शेयरों तथा लाभांश के अंतरण, शेयरधारकों के आवेदनों के रिकॉर्ड एवं शेयर से संबंधित अन्य गतिविधियों में शेयरधारकों द्वारा की गई शिकायतों के निवारण हेतु अधिदेश द्वारा नियुक्त किया गया है। निवेशक अपने अंतरण विलेख / आवेदन / शिकायतें आरटीए के साथ नीचे दिए पते पर भेज सकते हैं।

बैंक ने अपने केंद्रीय कार्यालय, मुंबई में भी निवेशक सेवाएं प्रभाग स्थापित किया है। शेयरधारक अपनी शिकायतों के लिए कंपनी सचिव, निवेशक सेवाएं प्रभाग से संपर्क कर सकते हैं।

<p>रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट (आरटीए)</p> <p>डाटामैटिक्स बिजेनेस सोल्यूशन्स लिमिटेड</p> <p>यूनिट: यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया</p> <p>प्लॉट नंबर बी-५, पार्ट बी क्रॉसलेन,</p> <p>एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व),</p> <p>मुंबई- 400 093</p> <p>फोन : 022 - 66712001-6</p> <p>फैक्स : 022 66712011</p> <p>ई-मेल : ubiinvestors@ datamaticsbpmpm.com</p>	<p>डिवेंचर ट्रस्टी</p> <p>आईडीसीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड</p> <p>एशियन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर,</p> <p>17, आर. कमानी मार्ग, बेलार्ड एस्टेट,</p> <p>मुंबई 400 001.</p> <p>फोन (022) 40807001</p> <p>फैक्स (022) 66311776</p> <p>ईमेल : adityakapil@idbitrustee.com</p> <p>एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेस लिमिटेड</p> <p>एक्सिस हाउस, दूसरी मंजिल,</p> <p>वाडिया इंटरनेशनल सेंटर,</p> <p>पांडुरंग बुधकर मार्ग, वर्ली,</p> <p>मुंबई 400025</p> <p>फोन (022) 24255215/216</p> <p>ईमेल : debenturetrustee@axistrustee. com</p>	<p>कंपनी सचिव</p> <p>निवेशक सेवाएं प्रभाग</p> <p>यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया,</p> <p>12वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय,</p> <p>239, विधान भवन मार्ग,</p> <p>नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021.</p> <p>फोन -(022) 2289 6636</p> <p>फैक्स -(022) 22025238</p> <p>ई-मेल: investorservices@ unionbankofindia.bank</p>
--	---	--

9.7 अन्य सूचनाएं :

शेयरधारकों की समस्याओं का समय से जवाब देने के अलावा, बैंक अपनी तरफ से पत्राचार और अन्य उपायों के माध्यम से निवेशकों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखता है।

बैंक ने ऐसे सभी शेयरधारकों को ई-मेल के माध्यम से अर्धवार्षिक संप्रेषण भेजा है, जिनकी ई-मेल आईडी बैंक/ डीपी में पंजीकृत है।

9.8 शेयरों का अमूर्तिकरण:

बैंक ने दोनों डिपोजिटरियों यथा नैशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरीज लि.(एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) से बैंक के शेयरों का अमूर्तिकरण करने का करार किया है। बैंक के इक्विटी शेयरों के लिए आबंटित आईएसआईएन (ISIN) कोड, **आईएनई692A01016** है।

अतः यह अनुरोध है कि भौतिक रूप में शेयर धारित शेयरधारक अपने हित में अपने शेयरों का अमूर्तिकरण कराएं, इससे वे शेयर प्रमाणपत्र की अभिरक्षा और शेयर प्रमाणपत्र के खो जाने/ खराब हो जाने जैसी समस्याओं से बच जाएंगे। इसके अलावा यह उहें तुरंत तरलता (नकदीकरण) भी प्रदान करेगा, क्योंकि बैंक के शेयरों का क्रय- विक्रय केवल डीमैट के रूप में ही किया जा सकता है। इससे लाभंश भुगतान भी तेजी और आसानी से हो सकेगा।

31.03.2022 को शेयरधारकों द्वारा डीमैट एवं भौतिक रूप में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

श्रेणी	शेयर धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
भौतिक	84,556	1,60,76,330	0.24
डीमैट			
एनएसडीएल	3,08,118	85,10,17,704	12.45
सीडीएसएल	3,87,025	596,76,53,432	87.31
कुल	7,79,699	683,47,47,466	100.00


नोट: बैंक के प्रोमोटर की पूरी शेयरधारिता डीमैटरियलाइज्ड फॉर्म में उपलब्ध है।


इसके अतिरिक्त, सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसरण में व्यवसायरत कंपनी सचिव ने भी तिमाही आधार पर शेयर पूँजी लेखापरीक्षा का मिलान किया गया है। शेयर पूँजी के मिलान के दौरान सदस्यों के बहियों के अद्यतनीकरण/ रखरखाव में अथवा डीमैट अनुरोध की प्रासेसिंग में कोई विसंगति नहीं पायी गयी और भौतिक प्रणाली तथा डीमैट प्रणाली में रखी गई पूँजी का निर्गमित पूँजी से मिलान हुआ है।

बैंक ने भौतिक रूप में शेयर धारित सभी धारकों को शेयरों के आमूर्तिकरण हेतु अनेक बार सूचित किया है। परिणामस्वरूप, वर्ष 2021-22 के दौरान 1024 शेयरधारकों ने भौतिक रूप से धारित 2,46,878 शेयरों का आमूर्तिकरण किया है।

9.9 बाजार मूल्य, शेयर बाजार में क्रय-विक्रय किए गये शेयरों की मात्रा

माह	बीएसई			एनएसई			बीएसई सेंसेक्स	
	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)	मात्रा (संख्या)	उच्चतम (₹)	न्यूनतम (₹)
अप्रैल, 2021	38.55	32.20	1,19,99,809	38.60	32.10	15,20,63,122	50375.77	47204.50
मई, 2021	39.35	33.50	3,01,45,311	39.40	33.50	46,27,47,957	52013.22	48028.07
जून, 2021	41.50	34.20	5,93,09,301	41.50	34.20	74,41,97,717	51450.58	52482.71
जुलाई, 2021	39.45	35.20	1,79,10,404	39.45	35.20	24,88,16,185	51802.73	52586.84
अगस्त, 2021	37.75	32.65	1,28,26,535	37.75	32.70	13,44,75,434	52804.08	57552.39
सितम्बर, 2021	37.55	34	2,02,34,183	37.45	34.00	20,71,68,161	57263.90	59126.36
अक्टूबर, 2021	51.7	35.75	6,04,40,335	51.70	35.70	68,20,66,105	58551.14	59306.93
नवंबर, 2021	54.8	41.60	4,62,33,018	54.80	41.55	40,63,95,777	56382.93	57064.87
दिसम्बर, 2021	49.65	41.30	3,65,07,478	49.70	41.30	30,38,26,610	55132.68	58253.82
जनवरी, 2022	48.75	41.20	2,59,81,544	48.85	41.10	21,49,10,696	56409.63	58014.17
फरवरी, 2022	51.7	38.05	4,13,55,261	51.70	37.85	36,74,87,860	54383.20	56247.28
मार्च, 2022	42.00	37.25	2,64,20,705	42.00	37.20	22,02,80,214	52260.82	58568.51
31.03.2022 को अन्तिम मूल्य	38.7			38.7			-	
बाजार पूँजीकरण	₹. 26,450 करोड़			₹. 26,450 करोड़			-	





* स्रोत—बीएसई वेबसाइट (www.bseindia.com)

9.10 शेयरधारिता का वितरण :

शेयरधारिता	यथा 31.03.2022				यथा 31.03.2021			
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरों की संख्या	कुल का %
500 तक	642618	82.42	76427698	1.12	5,28,933	81.76	6,75,45,606	1.05
501 से 1000	58277	7.47	45172534	0.66	49,399	7.64	3,75,00,984	0.59
1001 से 2000	30157	3.87	45971773	0.67	25,313	3.91	3,83,06,983	0.60
2001 से 3000	20276	2.60	51007654	0.75	19,538	3.02	4,89,43,404	0.76
3001 से 4000	9745	1.25	34019956	0.50	9,516	1.47	3,29,19,269	0.51
4001 से 5000	5544	0.71	26009371	0.38	4,516	0.70	2,09,83,000	0.33
5001 से 10000	8289	1.06	59067045	0.86	6,869	1.06	4,72,68,459	0.74
10001 से अधिक	4793	0.62	6497071435	95.06	2,890	0.45	6,113,376,650	95.42
कुल	779699	100.00	6834747466	100.00	646974	100.00	6406844355	100.00

बैंक के शेयर का अंकित मूल्य ₹.10/- है

9.11 शेयरधारिता का पैटर्न :

दिनांक 31.3.2022 तथा 31.03.2021 को बैंक की शेयरधारिता का पैटर्न निम्नानुसार रहा :

शेयरधारक की श्रेणी	यथा 31.03.2022		यथा 31.03.2021	
	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %	शेयरधारकों की संख्या	कुल का %
प्रोमोटर				
भारत सरकार	5,70,66,60,850	83.49	5,70,66,60,850	89.07
पब्लिक				
निवेशक संस्था				
स्पूच्युअल फंड & यूटीआई	6,42,39,168	0.94	5,64,49,674	0.89
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनी (केंद्रीय/राज्य सरकार संस्थान)	4178,25,501	6.11	22,34,23,845	3.49
एफआईआई & विदेशी स्पूच्युअल फंड	8,07,63,510	1.18	4,22,69,800	0.66
अन्य				
निजी कॉर्पोरेट निकाय	4,89,41,688	0.72	1,75,23,616	0.27
भारतीय जनता	50,84,00,256	7.44	35,55,71,135	5.55
एनआरआई/ओसीबी/योग्य विदेशी निवेशक	79,16,493	0.12	49,45,435	0.07
कुल	6,83,47,47,466	100.00	6,40,68,44,355	100.00

9.12 बैंक के 10 शीर्ष शेयरधारकों की सूची :

31.03.2022 को शीर्ष 10 शेयरधारकों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.	नाम	शेयर	पूँजी का%
1	भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार)	5706660850	83.49
2	भारतीय जीवन बीमा निगम	385692691	5.64
3	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लि- ए/सी एचडीएफसी मिड कैप अपरच्यूनिटीज फंड	51036160	0.77
4	सोसाइटी गेनरल ओडीआई	36327637	0.53
5	रेखा झुनझुनवाला	8400000	0.12
6	रेखा झुनझुनवाला	8400000	0.12
7	रेखा झुनझुनवाला	8400000	0.12
8	इंडिया फस्ट लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड	8264219	0.12
9	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7912257	0.11
10	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया	7704495	0.11

9.13 अदावाकृत/ अदत्त लाभांश :

अदत्त लाभांश खाते में लाभांश अंतरित किये जाने की तिथि से सात वर्ष तक लाभांश की रकम का दावा न किये जाने पर वह रकम निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि (आईपीएफ) में अंतरित कर दी जायेगी। इसके बाद खाते में अंतरित उस रकम के लिये बैंक अर्थवा उत्तर निधि के सापेक्ष कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। अब तक घोषित लाभांशों तथा विभिन्न लाभांश खातों के सापेक्ष दावा करने की अंतिम तिथि की सूची निम्नानुसार दी गई है :

क्र. सं.	संबंधित लाभांश खाते	अदत्त लाभांश बैंक खाता सं.	वित्तीय वर्ष	लाभांश का दर	आईपीएफ को अंतरण की प्रस्तावित तारीख	यथा 31.03.2022 को शेष (रु.)
1.	यूबीआई	317901090049761	2014-15	रु.6.00 प्रति शेयर	07-08-22	2,20,58,280.00
2.	यूबीआई	317901090049775	2015-16	रु.1.95 प्रति शेयर	08-08-23	1,04,06,896.10
3.	पूर्व-आंध्रा बैंक	117911100001617	2014-15	रु.2.00 प्रति शेयर	19-08-22	1,47,79,824.50
4.	पूर्व- आंध्रा बैंक	117911100001802	2015-16	रु.0.50 प्रति शेयर	31-08-23	58,19,786.42
5.	पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक	510101000855048	2014-15	रु. 1.40 प्रति शेयर	10-08-22	23,06,352.00
		कुल				5,53,71,139.02

जिन शेयरधारकों ने अभी तक उपर्युक्त लाभांश का दावा नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यथाशीघ्र अपना दावा बैंक के निवेशक सेवाएं प्रभाग या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रान्सफर एजेंट को शीघ्रतिशीघ्र प्रस्तुत करें। इससे संबंधित क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप बैंक की वेबसाइट (www.unionbankofindia.co.in) पर भी उपलब्ध है।

9.14 अदावाकृत शेयर :

क) भौतिक रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2012 में एक अदावाकृत उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2002 में बैंक के आईपीओ के समय आंबटित शेयर जो अभी तक अदावाकृत हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2021 को शेष	4	600
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	शून्य	शून्य
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए अंतरित किए गए	शून्य	शून्य
31.03.2022 को डीमैट उचंत खाते में शेष	4	600

ख) डीमैट रूप में :

सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षा विनियमन) 2015 की अनुसूची VI अर्थात् अदावाकृत शेयरों के

निपटान का तरीका के अंतर्गत बैंक ने सेबी द्वारा अनुदेशित पद्धति का कार्य पूर्ण करने के बाद मार्च 2010 में एक डीमैट उचंत (सस्पेंस) खाता खोला है। बैंक द्वारा आवेदकों को वर्ष 2006 में बैंक के एफपीओ के समय आंबटित शेयर जो किसी तकनीकी कमी के कारण आवेदकों के डीमैट खाते में क्रेडिट नहीं किए गए हैं, इस खाते में नियंत्रित किए गए हैं। इस खाते में पड़े शेयरों के विस्तृत विवरण इस प्रकार हैं :

विवरण (यूबीआई-एफपीओ)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2021 को शेष	216	26414
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	0	0
वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	0	0
31.03.2022 को डीमैट उचंत खाते में शेष	216	26,414


विवरण (पूर्व-आंधा बैंक एवं पूर्व-कॉर्पोरेशन बैंक)	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
डीमैट उचंत खाते में 01.04.2020 को शेष	175	17,431
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अंतरण हेतु संपर्क करने वाले शेयरधारक	7	4342
वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जिन शेयरधारकों को शेयर अंतरित किए गए	7	4342
31.03.2021 को डीमैट उचंत खाते में शेष	168	13089

ऊपर बताए गए सभी शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरुद्ध किए गए हैं जब तक इन शेयरों के सही मालिक इनका दावा नहीं करते हैं।

10. सूचीबद्ध करार के गैर-अधिदेशात्मक अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

क्रमांक	गैर-अनिवार्य आवश्यकताएं	अनुपालन की स्थिति
1.	निदेशक मंडल एक गैर-कार्यपालक अध्यक्ष सूचीबद्ध इकाई के व्यय पर अध्यक्ष-कार्यालय का रखरखाव करने के लिए अधिकारी होता है तथा उसे अपने कर्तव्यपालन के संबंध में किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की अनुमति होती है।	गैर-कार्यपालक का पद 05.07.2020 से खाली है। इसे केंद्र सरकार द्वारा भरा जाना है।
2.	शेयरधारकों के अधिकार विगत छः माह की प्रमुख घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्ठादान की अर्धवार्षिक घोषणा प्रत्येक शेयर धारक को भेजी जाए।	बैंक के आरटीए/ बैंक में अपना ईमेल आईडी पंजीकृत करने वाले सभी शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से अर्धवार्षिक सूचना भेजा जाता है।
3.	लेखापरीक्षा में संशोधित अभिमत कंपनी बिना कमियों वाले वित्तीय विवरणों की दिशा में अग्रसर होनी चाहिए।	समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई लेखापरीक्षा कमी (आपत्ति) नहीं रही।
4.	आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टिंग आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे लेखापरीक्षा समिति को रिपोर्ट कर सकते हैं।	बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षक सीधे महा प्रबंधक, केन्द्रीय लेखापरीक्षा एवं निरीक्षण विभाग को रिपोर्ट करता है। हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षकों द्वारा दी गई फलैश रिपोर्ट तथा विशेष रिपोर्ट की अद्यतन जानकारी लेखापरीक्षा समिति की बैठक में प्रस्तुत की जाती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2022

अंग्रेजी
परिवर्तन

अंग्रेजी


सामाजिक संरचना

केन्द्रीय विवरणों

आचार संहिता की घोषणा

बोर्ड द्वारा निदेशक मंडल के सभी सदस्यों तथा बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता का निर्धारण किया गया है तथा बैंक की वेबसाइट पर इसे प्रदर्शित भी किया गया है। निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए संहिता के अनुपालन की पुष्टि की गई है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से



(राजकिरण रै जी.)

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 30 मई, 2022

कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए यूनियन बैंक की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों के अनुपालन की स्थिति की जांच, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता विनियम एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम'), समय - समय पर यथा संशोधित, सूचीबद्धता विनियम के विनियम 15(2) के अनुसार, वर्ष 01 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के लिए की है।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन का दायित्व है। हमारी जांच भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर मार्गदर्शित अभिमत के अनुसार की गई है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी बाध्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु बैंक द्वारा अपनाई गयी पद्धतियों और उनके कार्यान्वयन तक ही सीमित है। यह न तो कोई लेखापरीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणियों के बारे में हमारा अभिमत है।

अपनी राय एवं सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीबद्ध करार में निर्धारित उपयुक्त कॉर्पोरेट गवर्नेंस संबंधी शर्तों का अनुपालन किया है।

आगे हमारा अभिकथन है कि उक्त अनुपालन का अभिप्राय बैंक की भविष्य की सक्षमता के प्रति यह कोई आश्वासन नहीं है और न ही यह बैंक के क्रियाकलापों के संचालन में प्रबंधन की कुशलता एवं प्रभावपूर्णता के बारे में आश्वासन है।

कृते मेसर्स आर जी एन प्राइस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 0027855

कृते मेसर्स सारदा एंड पारीख एलएलपी
सनदी लेखाकार
एफआरएन 109262W/W100673

कृते मेसर्स सी आर सागदेव एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 108959W

सीए पी. एम. वीश्वामी
भागीदार
सदस्य सं. 023933
यूडीआईएन: 22023933AIXFGY6267

सीए गिरिराज सोनी
भागीदार
सदस्य सं. 109738
यूडीआईएन: 22109738AIXFAO2016

सीए सचिन वी. लूथरा
भागीदार
सदस्य सं. 109127
यूडीआईएन: 22109127AIXFDY8530

कृते मेसर्स पी वी ए आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 005223C

कृते मेसर्स गोपाल शर्मा एंड कं.
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002803C

कृते मेसर्स एन वी एस एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 110100W

सीए शरद बंसल
भागीदार
सदस्य सं. 423507
यूडीआईएन: 22423507AIXFRK9410

सीए गौतम शर्मा
भागीदार
सदस्य सं. 79225
यूडीआईएन: 22079225AIXFAB5594

सीए प्रदीप जे. शेष्ठी
भागीदार
सदस्य सं. 046940
यूडीआईएन: 22046940AIXEX08437

स्थान: मुंबई
दिनांक: 13 मई, 2022

फॉर्म नं. एमआर-3

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

[सेबी के परिपत्र क्रमांक सेबी सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी 1/27/2019 दिनांक 08 फरवरी, 2019]

के साथ पठित सेबी (लोडर) के विनियमनों के नियमन 24 ए के संबंध में]

प्रति,
सदस्य,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केंद्रीय कार्यालय, मुंबई

मैंने लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जिसे यहाँ के बाद से ठैंकेट कहा गया है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखा परीक्षण किया है। सचिवीय परीक्षण इस प्रकार से किया गया है कि मुझे कॉर्पोरेट संहिता/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने और उस पर अपनी राय व्यक्त करने का उचित आधार प्राप्त हो।

सचिवीय लेखा परीक्षा के संचालन के दौरान, बैंक द्वारा बनाई गई बैंक की पुस्तकों, कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड और इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, मेरे सत्यापन के आधार पर, हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि मेरी राय में, बैंक ने, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष की पूरी अवधि के लेखा परीक्षण की अवधि के दौरान, यहाँ सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि यहाँ बाद में उचित रूप से, विधिपूर्वक रिपोर्ट करने के लिए बैंक के पास बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-तंत्र हैं:

निम्न प्रावधानों के अनुसार मैंने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा बनाए गए कागजातों, कार्यवृत्तों की पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न तथा बैंक के अन्य रिकॉर्ड का परीक्षण किया है :

- i. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970
 - ii. राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन एवं विविध प्रबंधन) की योजना, 1970;
 - iii. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित)
 - iv. भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1945; और आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मास्टर निर्देश, अधिसूचनाएं और दिशानिर्देश
 - v. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियमन, 1998
 - vi. विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम, 1999 एवं नियम एवं उसके अंतर्गत प्रचलित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक उधारी नियमन;
 - vii. प्रतिभूति अनुबंध (नियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम;
 - viii. डिपोजिटरीज अधिनियम, 1996 और विनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए उपनियम;
 - ix. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नानुसार नियमन एवं दिशानिर्देश):-
- ए. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयर एवं अधिग्रहणों का भौतिक अधिग्रहण) विनियमन 2011;
 - बी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया कारोबार का निषेध) विनियमन, 2015 ;
 - सी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी निर्गम एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, 2018;
 - डी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंश आधारित कर्मचारी लाभ एवं श्रम-जन्य इकिवटी) विनियमन, 2021;
 - ई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम एवं सूचीयन) विनियमन, 2008;

- एफ. कंपनी अधिनियम एवं ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (निर्गम एवं अंश हस्तांतरण एजेंट्स का रजिस्ट्रार) विनियमन, 1993;
- जी. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साधारण शेयर का असूचीयन) विनियमन, 2021; एवं
- एच. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाइबैक) विनियमन, 2018;
- आई. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियमन, 2021;

मैंने भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताओं और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियम, 2015 [“सूचीयन विनियमन”] के लागू वाक्यों के अनुपालन होने की भी जांच की है। सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त विनियमों के प्रावधानों एवं इसके अधीन जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है, जो सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 21 मई, 2022 में मेरी टिप्पणियों के अधीन हैं।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निम्नलिखित के अलावा बैंक ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के प्रावधानों का लागू सीमा तक अनुपालन किया है:

- ए) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(ई) और 9(3)(एफ) के तहत भारत सरकार द्वारा नामित किये जाने वाले दो कर्मचारी निदेशक बैंक के निदेशक मंडल में नहीं थे।
- बी) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(जी) के तहत बोर्ड में एक निदेशक होग जो कम-से-कम पन्द्रह वर्षों से चार्टर्ड एकांउटेंट होगा, जिसका नामांकन भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। यह पद दिनांक 06.02.2021 से रिक्त है।
- सी) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या एफनं4/4/2015-बीओ-I (पार्ट) दिनांक 30.10.2015 के अनुसार बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष, बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति के अध्यक्ष होंगे, चूँकि बैंक के पास गैर-कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है अतः इस अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है।
- ड) भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र आरबीआई/सीओ.डीओएस.एसईडी.सं-एस153/25/01-009/021-2022 दिनांक 01.06.2021 के द्वारा बैंक को कानूनी इकाई अभिज्ञापक (एर्लईआई) अपेक्षाओं के अनुश्रवण और कार्यान्वयन में नियंत्रण कमियों को निर्धारित करने की सलाह दी थी और बैंक ने तदनुसार आवश्यक कदम उठाए हैं।
- ई) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा तनावग्रस्त आस्तियों के विक्रय पर दिशा-निर्देश, भारतीय रिजर्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों और चुनिंदा वित्तीय संस्थानों द्वारा जोखिम निर्धारण) निदेश, 2016 के तहत परिपत्र के अंतर्गत धोखाघड़ी मामलों की पहचान और रिपोर्टिंग के लिए निर्धारित समय-सीमा के उल्लंघन के प्रत्येक के लिये रु. 50 लाख का जुर्माना लगाया है।
- एफ) निदेशकों की अपर्याप्तता और राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के तहत बैंक के निदेशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक समिति से संबंधित एजेंडे को लिया गया था।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि -

पूर्वगमी के अधीन, बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया जाता है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव में अधिनियम, नियम एवं विनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की निर्धारित बैठकों की जानकारी के लिए सभी निदेशकों को उचित सूचना दी गई थी, बैठकों के लिए कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट्स पहले ही भेजे गए थे और कार्यसूची की मदों पर बैठक से पहले अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे और कार्यवृत्तों की समीक्षा करते समय कोई असंतोषजनक विचार नहीं देखा गया था।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और संचालन के साथ बैंक में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि लेखा परीक्षा की अवधि के दौरान, बैंक ने निम्नलिखित घटनाओं / कार्यों को निष्पादित किया है:

- i) बैंक के निदेशक मंडल ने 30 जून, 2021 को आयोजित बैठक में, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रु. 9700 करोड़ की पूँजीगत निधि, जिसमें रु. 3500 करोड़ इक्विटी शेयरों के माध्यम से अनधिक राशि शामिल है एवं अतिरिक्त टियर I (एटी I) बॉण्ड और या टियर II बॉण्ड्स के माध्यम से रु. 6200 करोड़ से अनधिक राशि की उगाही के लिए पूँजी योजना का अनुमोदन किया है।
- ii) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 21 मई, 2021 को आयोजित बैठक में अहर्ता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को कुल रु. 1447.17 करोड़ के इक्विटी शेयर, अंकित मूल्य रु. 10/- से प्रीमियम रु. 23.82 पर 42,79,03,111 इक्विटी शेयर का आबंटन किया है। इन शेयरों के सूचीकरण के लिए एनएसई और बीएसई से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किया गए।
- iii) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 21 मई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में बासल छ्छ के अनुपालन वाले टियर-2 बांड (आईएसआईएन आईएनई434ए08059) के संबंध में इसके कॉल ऑप्शन की तारीख पर कुल 1000 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन के प्रयोग को मंजूरी दी।
- iv) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 24 जून, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 8500 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, पूर्ण प्रदत्त बासल IIII अनुपालित ऋण लिखतों को डिबैंचर के रूप में जारी और आवंटित किया जो टियर-2 कैपिटल बॉन्ड (श्रृंखला XXX) में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 10,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 850 करोड़ रुपये है।
- v) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 5 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में कुल रु.1000 करोड़ के बासल छ्छ अनुपालित टियर-2 बांड (आईएसआईएन: आईएनई692ए08011) और कुल 900 करोड़ रुपये के बासल IIII अनुपालित अतिरिक्त टियर 1 बांड (आईएसआईएन: आईएनई434ए08067) के संबंध में कॉल ऑप्शन का प्रयोग करने के लिए अपनी स्वीकृति प्रदान की।
- vi) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 09 जुलाई, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1150 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, पूर्ण प्रदत्त बासल IIII अनुपालित ऋण लिखतों को डिबैंचर के रूप में जारी और आवंटित किया जो टियर-2 कैपिटल बॉन्ड (श्रृंखला XXXI) में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 1150 करोड़ रुपये है।
- vii) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 1 अक्टूबर, 2021 को पारित अपने संकल्प के द्वारा बासल छ्छ के अनुपालन वाले टियर- 1 बांड (आईएसआईएन आईएनई692ए08037) के संबंध में कुल 1000 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन की तारीख पर कॉल ऑप्शन के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की।
- viii) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 22 नवम्बर, 2021 को आयोजित अपनी बैठक में निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2000 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, स्थायी पूर्ण प्रदत्त बासल IIII अनुपालित अतिरिक्त टायर-I बॉण्ड (श्रृंखला XXXII) के आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक के अतिरिक्त टियर-1 कैपिटल में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 2000 करोड़ रुपये है।
- ix) पूँजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 20 दिसम्बर, 2021 को परिचालित उनके पारित संकल्प के द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर 2000 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, स्थायी पूर्ण प्रदत्त बासल IIII अनुपालित अतिरिक्त टायर-I बॉण्ड (श्रृंखला XXXIII) के डिबैंचर रूप में आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक के अतिरिक्त टियर-1 कैपिटल में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 1500 करोड़ रुपये है।

- x) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 2 मार्च, 2022 को परिचालित उनके पारित संकल्प के द्वारा निजी प्लेसमेंट के आधार पर 1500 गैर-परिवर्तनीय, कर योग्य, अप्रत्याभूत, गौण, स्थायी पूर्ण प्रदत्त बासल III। अनुपालित अतिरिक्त टायर-1 बॉंड (शृंखला XXXIV) के डिबेंचर रूप में आवंटन का अनुमोदन प्रदान किया है जो बैंक के अतिरिक्त टियर-1 कैपिटल में शामिल होने के लिए पात्र है, जिसका अंकित मूल्य 100,00,000/- रुपये है, जिनका कुल मूल्य 1500 करोड़ रुपये है।
- xi) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 10 फरवरी, 2022 को परिचालित उनके संकल्प के द्वारा निम्नलिखित बासल III। अनुपालित अतिरिक्त टायर 1 बॉंडों के लिये कॉल विकल्प को प्रयोग करने का अनुमोदन प्रदान किया है
- (आईएसआईएन:आईएनई692ए08052) रु. 250 करोड़ के लिये
 - (आईएसआईएन:एनई692ए08060) रु. 750 करोड़ के लिये
 - (आईएसआईएन:एनई692ओ08078) रु. 500 करोड़ के लिये
- xii) पूंजीगत निधियाँ जुटाने के लिए निदेशकों की समिति (सीडीआरसीएफ) ने दिनांक 28 मार्च, 2022 को आयोजित अपनी बैठक में बासल III के अनुपालन वाले टियर-1 बॉंड (आईएसआईएन आईएनई692ए08086) के संबंध में कुल 500 करोड़ रुपये के कॉल ऑप्शन की तारीख पर कॉल ऑप्शन के प्रयोग को मंजूरी प्रदान की।

बी दुर्गाप्रसाद राय
कंपनी सचिव

एसीएस संख्या : 10060; सी पी संख्या . : 4390
यूडीआईएन : A010060D000361664

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 मई, 2022

इस रिपोर्ट को हमारे के पत्र के साथ यहाँ तक की तारीख तक पढ़ा जाए जो परिशिष्ट 'ए' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।

परिशिष्ट 'ए'

प्रति,
सदस्य,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए मेरे सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए.

1. सचिवीय रिकॉर्ड के रखरखाव का उत्तरदायित्व बैंक के प्रबंधन का है। हमारा उत्तरदायित्व इन सचिवीय रिकॉर्ड पर राय व्यक्त है।
2. मैंने सचिवीय रिकॉर्ड की विषयवस्तु के शुद्धता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा की उपयुक्त प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है। परीक्षण के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन किया गया कि सचिवीय रिकॉर्ड में परिलक्षित तथ्य सही हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि मैंने जिन प्रक्रियाओं और प्रथाओं का पालन किया है, हमारी राय प्रकट करने का एक उचित आधार प्रदान करती है।
3. मैंने बैंक के वित्तीय रिकॉर्ड लेखा बहियों की शुद्धता और उपयुक्तता की जांच नहीं की है।
4. जहां कहीं आवश्यक रहा है, विधि, नियमों एवं विनियमों एवं घटी हुई घटनाओं आदि के अनुपालन बारे में मैंने प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. कॉर्पोरेट के प्रावधानों एवं दूसरे लागू विधि, नियमों एवं विनियमों मानकों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमारा परीक्षण प्रक्रियाओं का परीक्षण आधार पर सत्यापन करने तक सीमित था।
6. सचिवीय ऑडिट रिपोर्ट न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

बी दुर्गाप्रसाद राय
कंपनी सचिव

एफसीएस संख्या : 10060; सी पी संख्या . : 4390
यूडीआईएन : A010060D000361664

स्थान : मुंबई
दिनांक : 21 मई, 2022

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सचिवीय अनुपालन रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु

मैंने परीक्षण किया है :

- ए) यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") द्वारा सभी दस्तावेज़ एवं रिकॉर्ड हमें उपलब्ध कराये गए एवं स्पष्टीकरण प्रदान किया गया है,
- बी) बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंज में फाइल/प्रस्तुत किए गए हैं,
- सी) बैंक की वैबसाइट,
- डी) अन्य कोई दस्तावेज/फाइल, जो भी संबंधित है, जिनका इस प्रमाण पत्र को बनाने के लिए विश्वास किया गया है। 31 मार्च, 2022 ("समीक्षा अवधि") को समाप्त हुए वर्ष के लिए अनुपालन के संबंध में निम्न के प्रावधानों के साथ:
- ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") एवं विनियमन, इसके अंतर्गत जारी परिपत्र, दिशानिर्देश ; एवं
- बी) प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), उसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा इसके अंतर्गत जारी विनियमन, परिपत्र, दिशानिर्देश;

विशिष्ट विनियम, जिनके प्रावधानों और उनके द्वारा जारी परिपत्र / दिशानिर्देशों की जांच की गई है, मैं शामिल हैं:

- ए) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015;
- बी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी का निर्गम और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018;
- सी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और टकेओवर का भौतिक अधिग्रहण) विनियम, 2011; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है)
- डी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बायबैक) विनियम, 2018; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है)
- ई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और श्रम-जन्य इक्विटी) विनियम, 2021; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है)
- एफ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2013; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है)
- जी) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (गैर-परिवर्तनीय और शोधनीय अधिमान शेयरों की सूचीबद्धता एवं निर्गम) विनियम, 2013; (समीक्षा अवधि के दौरान अनुपालन आवश्यकता से संबंधित कोई घटना नहीं हुई है)
- एच) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और सूचीकरण) विनियम, 2021;
- आई) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (भेदिया लेनदेन का निषेध) विनियम, 2015;
- जे) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के अन्य विनियम, और इनके तहत जारी परिपत्र/ दिशानिर्देश, जो बैंक पर लागू हैं

अंतिम
प्रस्तुत्य

अंतिम

सामग्रिक संगठन

बोर्ड विवरण

और उपर्युक्त परीक्षण के आधार पर, मैं यह रिपोर्ट करता हूँ कि समीक्षा अवधि के दौरान:

ए) निम्न मामलों को छोड़कर, सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त के अंतर्गत जारी नियमनों एवं परिपत्रों/दिशा निर्देशों प्रावधानों का पालन किया है:-

क्र. सं.	अनुपालन की आवश्यकता (विशिष्ट वाक्य सहित नियमन/परिपत्र/ दिशानिर्देश)	विचलन	पेशेवर कंपनी साचिव की द्वारा किए गये अवलोकन / टिप्पणी
1	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 17(बी) क्या सूचीबद्ध इकाई के पास गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं, बोर्ड के निदेशकों की संख्या के अनुसार बोर्ड में कम-से-कम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 19(1) निदेशक मंडल को दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना चाहिए।	चूंकि बैंक में कोई गैर-कार्यपालक अध्यक्ष नहीं हैं, बोर्ड के निदेशकों की संख्या के अनुसार बोर्ड में कम-से-कम 6 स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए।	यद्यपि स्वतंत्र निदेशकों से संबंधित प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर लागू नहीं होते हैं क्योंकि वह कंपनी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित नहीं हुए हैं और पीएसबी को स्थापित करने वाला अधिनियम स्वतंत्र निदेशकों को परिभाषित नहीं करता है वित्त मंत्रालय की फाइल संख्या 6/20/2019 -बीओ.I दिनांक 30.08.2019 ने यह स्पष्ट किया है कि बैंकिंग कंपनी (उपकरणों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम 1970 के खंड (जी) के तहत के तहत नियुक्त गए गैर-आधिकारिक निदेशक और और धारा 9(3) के खंड (एच) के तहत के तहत नियुक्त गए गैर-आधिकारिक निदेशक अधिकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक की प्रकृति के समान हैं इस स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए बैंक के निदेशक मंडल ने उपरोक्त धारा के खंड (जी) (एच) और (आई) के तहत नियुक्त/ नामित निदेशकों को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में विचार किया है। रिपोर्ट किये गये वर्ष में बैंक के बोर्ड में खंड (जी) के तहत नियुक्त कोई निदेशक नहीं थे और खंड (एच) और (आई) के तहत नियुक्त/ नामित दोनों निदेशक के साथ बोर्ड के उपर्युक्त निर्णय के आधार पर न्यूनतम 6 निदेशकों के स्थान पर केवल 4 स्वतंत्र निदेशक थे।
2	सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 19(1) निदेशक मंडल को दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशकों के साथ न्यूनतम तीन गैर-कार्यपालक निदेशकों के नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन करना चाहिए।	बैंक के निदेशक मंडल में निर्धारित संख्या में गैर-कार्यपालक / स्वतंत्र निदेशकों की अनुपलब्धता के कारण समिति में सदस्यों की कमी थी।	भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार समिति में बैंकिंग कंपनी (उपकरणों के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3) (जी) के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक एवं धारा 9(3) (एच) के तहत तीन गैर-कार्यपालक निदेशक होने चाहिए। यद्यपि बोर्ड में अधिनियम की धारा 9(3) (जी) के तहत गैर-कार्यपालक निदेशक नहीं हैं। किन्तु, अधिनियम की धारा 9(3) (एच) और 9(3) (आई) के तहत समिति का गठन करने हेतु नामित दो निदेशक हैं, जिससे एलओडीआर के अंतर्गत समिति के गठन की आवश्यकता की पूर्ति होती है। बैंक के बोर्ड द्वारा समिति के कार्य राष्ट्रीयकृत बैंक योजना, 1970 (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) के खंड 14ए के अनुसार किए जाते हैं।

बी) सूचीबद्ध इकाई ने उपरोक्त विनियमनों एवं उसके अंतर्गत परिपत्रों/ जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार उचित रिकॉर्ड बनाए हैं जैसा कि उन रिकॉर्ड के मेरे परीक्षण में प्रकट होता है।

- सी) उपरोक्त अधिनियमों/विनियमों के अंतर्गत और अब तक जारी परिपत्रों/दिशानिर्देशों या तो सेबी अथवा स्टॉक एक्सचेंज द्वारा (विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से सेबी द्वारा जारी मानक परिचालन प्रक्रियाओं के सहित) सूचीबद्ध इकाई/इसके प्रवर्तकों/निवेशकों/मटिरियल कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है जैसा कि मेरे परीक्षण से प्रकट होता है।
- डी) पिछली रिपोर्ट के संबंध में की गई टिप्पणियों के अनुपालन के लिए सूचीबद्ध इकाई द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्टिंग की आवश्यकता इस अवधि में लागू नहीं है।
- ई) वैधानिक लेखा परीक्षकों का सूचीबद्ध इकाईयों और उनकी मैट्रियल सबसिडियरी से त्यागपत्र के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र संख्या सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी 1/114/2019 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के अनुबंध 6(ए) और 6(बी) के अनुसार किसी रिपोर्टिंग की आवश्यकता समीक्षा अवधि के दौरान लागू नहीं है।

बी दुर्गाप्रसाद राय

कंपनी सचिव

सदस्यता संख्या. ए- 10060; सीओपी संख्या: 4390

यूडीआईएन: A010060D000361664

स्थान: मुंबई

दिनांक: 21 मई, 2022

निवेशकों की गैर अयोग्यता का प्रमाणपत्र

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसरण में)

सेवा में,

सदस्यगण,

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

केन्द्रीय कार्यालय, यूनियन बैंक भवन,

239, विधान भवन मार्ग,

नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्ध बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V अनुच्छेद सी खंड (10) (i) के अनुसार मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) जिसका केन्द्रीय कार्यालय 239, विधान भवन मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई 400 021 में अवस्थित है, के निवेशकों से प्राप्त प्रासांगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म, रिटर्न और प्रकटीकरण की जांच की है, जिसे बैंक द्वारा मेरे समक्ष यह प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था।

मेरी राय और मेरी जानकारी के अनुसार और आवश्यक सत्यापन (पोर्टल www.mca.gov.in, पर निवेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित), जहां कहीं भी लागू हो) और बैंक तथा इसके अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण के अनुसार, एतद्वारा मैं प्रमाणित करता हूँ कि 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के बोर्ड के निम्नलिखित निवेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या अन्य किसी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निवेशक के रूप में नियुक्त होने या बनाए रखने से नहीं रोका गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

क्र.सं.	निवेशक का नाम	डीआईएन	बैंक में नियुक्ति की तिथि
1.	श्री राजकिरण रै जी.	07427647	01 जुलाई, 2017
2.	श्री मानस रंजन बिस्वाल	08162008	01 मार्च, 2019
3.	श्री नितेश रंजन	08101030	10 मार्च, 2021
4.	श्री रजनीश कर्नाटक	08912491	21 अक्टूबर, 2021
5.	श्री निधु सक्सेना	लागू नहीं	01 फरवरी, 2022
6.	श्री समीर शुक्ला	06435463	08 नवंबर, 2021
7.	श्री अरुण कुमार सिंह	09498086	26 अप्रैल, 2019
8.	श्री सूरज श्रीवास्तव	लागू नहीं	21 दिसंबर, 2021
9.	श्री लक्ष्मण एस उपर	लागू नहीं	21 मार्च, 2022
10.	डॉ. जयदेव मदुगुला	03574167	28 जून, 2018
11.	श्रीमती प्रीति जय राव	03352049	29 जून, 2021

बैंक, एक राष्ट्रीयकृत बैंक होने के नाते बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 और बैंकिंग कार्यकारी अधिनियम, 1949 के तहत शासित है। कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान बैंक पर लागू नहीं है। इस प्रकार, बैंक के बोर्ड के निवेशक के लिए डीआईएन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है।

बोर्ड में प्रत्येक निवेशक की नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता को सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन की ज़िम्मेदारी है। मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करूँ। यह प्रमाणपत्र न तो बैंक की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उस दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसके साथ प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

बी दुर्गाप्रसाद राय
कंपनी सचिव

एसीएस: 10060; सीओपी: 4390
यूडीआईएन: A010060D000186445

स्थान : मुंबई

दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र

प्रति,
निदेशक मंडल,
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया,
मुंबई.

सेबी के विनियमन 17(8) (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015
के तहत सीईओ एवं सीएफओ प्रमाणपत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे जानकारी एवं विश्वास के अनुसार

ए. हमने वर्ष के वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार :

- (1) इन विवरणों में कोई गलत बयानी या कोई भूल-चूक या ऐसा कोई विवरण नहीं है; जिससे भ्रामक स्थिति पैदा हो;
- (2) ये विवरण सूचीबद्ध इकाई के कार्यों का एक वास्तविक और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं और इसमें मौजूदा लेखांकन मानकों, लागू क्रान्तीनी एवं विनियमनों का अनुपालन किया गया है.

बी. हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सूचीबद्ध इकाई द्वारा वर्ष के दौरान ऐसे किसी लेन-देन की प्रविष्टि नहीं की गई है, जो धोखाधड़ीपूर्ण या अवैध हो या जिससे सूचीबद्ध इकाई की आचार संहिता का उल्लंघन होता हो.

सी. हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और उसके अनुपालन का दायित्व स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रामाणिकता का मूल्यांकन किया है तथा लेखापरीक्षकों एवं लेखापरीक्षा समिति को आंतरिक नियंत्रण को तैयार करने अथवा उसे व्यवहार में लाने में आने वाली हमें ज्ञात कमियाँ, जो कोई हों और उन कमियों को सुधारने के लिए किए गए प्रस्तावित उपायों की जानकारी दी है.

डी. हमने लेखापरीक्षकों एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति को निम्नलिखित की सूचना दी है। -

- (1) वर्ष के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के आंतरिक नियंत्रण में हुए मुख्य परिवर्तन;
- (2) वर्ष के दौरान लेखांकन नीतियों में हुए व्यापक परिवर्तन और वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में उनका उल्लेख किया गया है; और
- (3) उन्हें ज्ञात धोखाधड़ी के प्रमुख मामले, जिनसे यदि प्रबंधन या ऐसा कोई कर्मचारी जुड़ा है; जिसकी वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी सूचीबद्ध इकाई की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है।

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(प्रफुल्ल कुमार सामल)
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

कृते यूनियन बैंक ऑफ इंडिया



(राजकिरण रै जी.)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई

दिनांक : 13 मई, 2022

5.17.3 वर्ष 2021-22 के दौरान निदेशक मण्डल एवं अन्य समिति बैठकों में निर्देशकों का व्यापार तथा उपस्थिति लिखना नुसार है :

क्र. सं	निदेशक का नाम	फ्रांकर	निदेशक मण्डल की समितियों के निदेशक एवं सदस्य										
			बैड	एमरिकी	एमरिकी	एसआरसी	आरएसी	आरटीएससी	एससीएए	ईपीएसी	एसटीएसी	उपस्थित आवाजिता* उपस्थित आवाजिता**	
1	श्री राजविष्णु औं, जी, 01.07.2017 से	एईटी & सीईओ	22	22	24	24	-	-	5	4	4	6	6
2	श्री मानस रंजन बिस्तार, 01.03.2019 से	ईडी	22	21	24	18	-	-	4	4	5	5	4
3	श्री नितेश रंजन, 10.03.2021 से	ईडी	22	22	24	22	5	5	4	4	5	5	2
4	श्री रमेश कर्माटक, 21.10.2021 से	ईडी	9	9	11	11	2	2	2	2	2	2	-
5	श्री निधि सरसेला, 01.02.2022 से	ईडी	3	2	4	4	3	3	1	1	1	-	-
6	श्री समीर शुक्ला केंद्र सरकार द्वारा नामित, 08.11.2021 से	एईटी	7	4	-	4	4	-	-	2	2	1	4
7	श्री अस्ता कमान लिहे आवौजाई द्वारा नामित निदेशक, 26.04.2019 से	एईटी	22	21	24	23	10	10	-	-	-	6	6
8	श्री सुरज श्रीवास्तव, 21.12.2021 से	अईटीएएटी	5	5	-	3	3	1	1	1	-	-	-
9	श्री लक्ष्मण राय, 21.03.2022 से	अईटीएएटी	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	डॉ. जयदेव सद्युला, 28.06.2018 से	अईटी / एमटी	22	22	-	10	10	4	4	5	5	4	4
11	सुश्री पीति जय गंग, 29.07.2021 से	अईटी / एमटी	13	13	16	15	-	-	2	2	3	3	3

वित्ती वर्ष 22 के दौरान दिनांक 31.03.2022 से पूर्व बैक के निदेशक मण्डल के निदेशकों की बैठकों में उपस्थिति की जानकारी लिखना नुसार है

1	डॉ. उत्तम कुमार सक्कार, 27.06.2021 तक	एईटी / एमटी	6	6	6	6	-	-	1	1	1	-	1
2	श्री के. कादितराजन, 27.06.2021 तक	एईटी / एमटी	6	3	6	3	-	-	1	0	1	-	-
3	श्री दिनेश कुमार गर्ज, 30.09.2021 तक	ईडी	13	11	12	9	-	-	2	2	3	-	-
4	डॉ. मदनेश कुमार निशा केंद्र सरकार द्वारा नामित, 07.11.2022 तक	एईटी	15	15	-	6	6	-	-	3	3	2	2
5	श्री गोपाल सिंह गुराहाङी, 31.01.2022 तक	ईडी	19	19	20	20	-	-	3	3	4	4	3

* निदेशक के कार्यकाल के दौरान आवाजित बैठकों की संख्या

** 19 प्रस्तावों को अंतर्गत समय अंतराल पर शेयर अंतरण समिति को परिषत संकल्प के स्वरूप लिखना नुसार दिया गया।

एमटी एवं सीईओ - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

ईडी - कार्यपालक निदेशक

एनएटी - गैर कार्यपालक निदेशक

आईटी - स्वांत्र निदेशक

एसटी - शेयरधारक निदेशक

5.17.3 वर्ष 2021-22 के दौरान नियशक मण्डल एवं अन्य समिति बैठकों में नियोजितों का व्योगा तथा उपस्थिति निम्नानुसार है :

क्र. सं	नियोजक का नाम	प्रकार	नियोजक मण्डल की समितियों के नियोजक एवं सदस्य								
			समीक्षकीय	आर्थिकनीय & डबलट्रॉडी	पनारसी	सौम्यारसी	एचआरएसी	सार्गार्सी-	आरईएसी	सौहारसीफ़	वीतीपीई
1	श्री राजकिंण औ. जी, 01.07.2017 से	एमई & सोइडो	4	4	4	-	-	4	4	7	6
2	श्री मानस रंजन विठ्ठाल, 01.03.2019 से	ईंडी	4	4	-	-	4	4	7	5	24
3	श्री नितेश रंजन, 10.03.2021 से	ईंडी	4	4	-	-	4	4	7	7	24
4	श्री उत्तमीश कर्णाटक, 21.10.2021 से	ईंडी	2	2	-	-	2	2	4	4	11
5	श्री निधि सक्षेत्रा, 01.02.2022 से	ईंडी	1	1	-	-	1	1	1	4	4
6	श्री समीर तुलना केंद्र सरकार द्वारा नामित, 08.11.2021 से	एनईटी	2	1	-	-	-	4	4	-	-
7	श्री अम्बा कमार सिंह आरबीआई द्वारा नामित नियोजक, 26.04.2019 से	एनईटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	श्री मूर्जन श्रीकान्तक, 21.12.2021 से	आईटीएलईटी	1	1	-	-	1	1	-	-	-
9	श्री लक्ष्मण एस. उमप, 21.03.2022 से	आईटीएलईटी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	डॉ. जयेन्द्र मदुराणा, 28.06.2018 से	आईटी / एसटी	4	4	4	-	3	3	6	6	-
11	स्त्री प्रीति जय राव, 29.07.2021 से	आईटी / सरटी	2	2	3	-	-	6	6	-	-
नियोजक वर्ष 22 के दौरान दिनांक 31.03.2022 से पूर्व बैंक के नियोजक मण्डल के नियोजकों की बैठकों में उपस्थिती की जानकारी निम्नानुसार है											
1	डॉ. ऊर्मा कुमार, 27.06.2021 तक	आईटी / एसटी	1	1	1	-	-	1	1	-	-
2	श्री क. कनिरेसन, 27.06.2021 तक	आईटी / एसटी	1	1	-	-	1	1	0	-	-
3	श्री दिनेश कुमार गर्जी, 30.09.2021 तक	ईंडी	2	0	-	-	2	1	3	2	12
4	डॉ. मनदेश कुमार निशा केंद्र सरकार द्वारा नामित, 07.11.2021 तक	एनईटी	2	2	-	-	-	3	3	-	2
5	श्री गोपाल सिंह गुप्ता, 31.01.2022 तक	ईंडी	3	3	-	-	3	3	6	6	20
								3	3	7	7

* नियोजक के कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या